अध्याय - 6

सरोकार एवं कार्यनीतियां

6.1 इस खण्ड के पिछले अध्यायों में राज्य स्तर योजना के अनुभवों का उल्लेख किया गया हैं। विकास की दिशा में कुछ प्रवृतियां दृष्टिगोचर हुई हैं तथा चिन्ता के क्षेत्रों को पहचाना गया हैं। इन उभरती हुई प्रवृतियों तथा चिन्ताओं के विश्लेषण से, सीखा जा सकता है। इस अध्याय का लक्ष्य राज्य स्तर पर उभरी मुख्य चिन्ताओं पर प्रकाश डालना तथा दसवीं योजना में राज्यों के विकास को गति देने के लिए कार्यनीतियां बनाने की आवश्यकता है।

6.2 मोटे तौर पर यह कहा जा सकता हैं कि योजना के पिछले पांच दशकों में राज्यों में प्रगति हुई हैं। इस प्रगति को विकास के संकेतकों के संदर्भ में मापा जा सकता हैं। प्रगति स्प-ट रूप से सभी क्षेत्रकों, सभी राज्यों में अधिक या कम मात्रा में हुई हैं।

6.3 इस चहुंमुखी प्रगति के वावजुद विकास में कई असन्तुलन विद्यमान हैं। इन असन्तुलनों में से कुछ असन्तुलन कम हुए हैं। परन्तु अधिकांश में समय के साथ बढ़ोत्तरी हुई हैं जिससे अधिक विकसित राज्यों तथा कम विकसित राज्यों के बीच की खाई चौड़ी हुई हैं। यह असन्तुलन मुख्य रूप से संवृद्धि की गति में, विकास के पैट्रनों में, योजना परिव्ययों तथा विकास परिणामों, एंव राज्य की भवि-य के विकास को वित्तपोि-त करने की राजको-ीय क्षमताओं में प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं।

6.4 इन असन्तुलनों के लिए कई स्प-टीकरण हैं। इन स्प-टीकरणों में से कुछ स्प-टीकरण जानी पहचानी प्रवृतियों के अनुरूप है। इन में, राज्यों की आरम्भिक आधारक संरचना अपनाई गई नीतियों तथा प्रबन्धन के स्तरों मे अन्तर, वित्तीय प्रबन्धन की सुदृढ़ता में भिन्नताएं तथा कार्यन्वयन की प्रभावकारिता मे भिन्नताए और विभिन्न स्तरों पर विकास कार्यक्रमों लोगों की सबंद्धता और भागीदारी सम्मिलित हैं।

6.5 इस खण्ड में विकास प्रक्रिया की गति से संबंधित जिन चिन्ताओं एंव कार्यनीतियों का अच्छा उल्लेख किया गया हैं उन्हें तीन मुख्य श्रेणीयां (क) विकास सहायता, (ख) क्षेत्रीय असमानतांए तथा (ग) राजको-ीय एंव अन्य सुधारों में रखा गया हैं।

विकास सहायता

6.6 2001 में रा-ट्रीय विकास परि-द द्वारा अनुमोदित दसवीं पंचव-ीय योजना के दृ-टिकोण पेपर में, बल इस बात पर दिया गया था कि विकास निधियों के प्रवाह को धीरे-धीरे बढ़ाने की परम्परागत पंहुच में तबदीली लाई जाए और अनुपातिक विकास परिणामों की प्रत्याशा की जाए। दृ-टिकोण पेपर में दसवीं योजना को ''सुधार योजना'' न कि संसाधन योजना की संज्ञा देने की बात कही गई थी। इसमें विकास की मात्रा से विकास के परिणामों की गुणवत्ता को अधिकतम वित्तपो-ण तथा सार्वजनिक सेवा वितरण की बढ़ती प्रभावकारिता की ओर स्थानांतरित करने की योजना थी। दृ-टिकोण पत्र में सुधारों की एक 16 प्वाइंट की न्यूनतम कार्यसूची परिभाि-त की गई तथा यह उल्लेख किया गया कि योजना के लिए बनाए गए संवृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस न्यूनतम कार्यसूची के अनुपालन की आवश्यकता है।

6.7 अतः, दसवीं योजना में, अकेले निवेश की मात्राओं पर इतना अधिक ध्यान न देकर प्रभावकारिता, गुणवत्ता तथा सुधारों पर जोर दिया जाएगा । तथापि, यह स्प-ट किया जाता हैं कि जहां तक दसवीं योजना में राज्य योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता का संबंध हैं, यह बढ़ना जारी रहेंगे, जैसा कि पिछली योजनाओं में बढ़ रहे थे। यह राज्य की योजनाओं (तालिका 6.1) को केन्द्रीय सहायता के साथ-साथ दसवीं योजना (तालिका 6.3) के लिए राज्यों की असीम योजना आकार के अनुसार दोनों के लिए होगा। तदनुसार, जबकि यह स्वीकारा जाता हैं कि अकेला विकास वित्तपो-ण की मात्रा वांछित परिणामों को देने के लिए पर्याप्त नहीं है, वित्तपो-ण की मात्रा में बढ़ोत्तरी जों कि पिछली पंचव-ीय योजनाओं की एक विशे-ता रही हैं, दसवीं योजना में भी बनाई रखी जाएगी।

तालिका 6.1
राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता (राज्य-वार, छठी योजना से दसवीं योजना तक)

(रूपये करोड़)

क्रम सं.	राज्य	छठी योजना (1980-85)	सांतवी योजना (1985-90)	आंठवीं योजना (1992-97)	नौवीं योजना (1997-02) सहमत	दसवीं योजना (2002-07) प्रक्षेपित
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	आंध्र प्रदेश	1,021.00	1,830.40	7,090.58	17,267.97	22,241.89
2.	अरूणाचल प्रदेश*	217.55	558.25	1,656.51	2,806.59	3,396.25
3.	असम	1,215.05	2,560.46	4,925.70	7,761.58	9,527.60
4.	बिहार	1,442.48	2,686.94	6,151.06	10,474.63	11,721.41
5.	छत्तीसगढ़ $				588.86	4,103.57
6.	गोवा *#	165.44	359.63	218.84	503.00	652.40
7.	गुजरात	622.80	1,283.75	2,578.99	11,325.20	13,156.34
8.	हरियाणा	280.58	431.31	1,932.22	3,884.95	3,180.00
9.	हिमाचल प्रदेश	459.16	951.39	2,103.99	4,426.79	5,540.00
10.	जम्मू व कश्मीर	1,029.21	2,102.56	5,685.16	11,523.55	11,820.55
11.	झारखण्ड़ं $				732.12	4,066.41
12.	कर्नाटक	589.00	1,241.53	3,842.77	8,582.41	17,992.80
13.	केरल	494.57	1,294.45	2,907.89	4,185.70	10,838.55
14.	मध्य प्रदेश	1,104.91	2,017.79	3,794.20	9,324.32	10,168.13
15.	महाराष्ट्र	1,046.46	1,817.23	6,223.47	9,532.33	9,770.39
16.	मणिपुर	286.51	613.44	1,230.03	2,493.61	3,166.42
17.	मेघालय	247.21	531.09	1,136.03	1,931.37	2,323.15
18.	मिजोरम *	145.87	362.95	1,042.93	1,866.83	2,646.94
19.	नागालैण्ड	293.61	699.72	1,085.93	1,989.19	2,594.47
20.	उड़ीसा	759.37	1,378.91	3,677.05	9,231.50	14,607.72
21.	पंजाब	261.65	285.34	6,182.59	4,188.73	3,979.00
22.	राजस्थान	731.35	1,325.08	3,692.00	7,210.79	9,640.56
23.	सिक्किम	130.44	213.75	688.44	1,334.48	1,560.24
24.	तमिलनाडु	757.11	1,715.64	6,676.64	8,465.63	15,006.13
25.	त्रिपुरा	184.13	611.94	1,397.57	2,940.13	4,008.45
26.	उत्तर प्रदेश	2,342.18	3,219.48	12,915.79	25,996.67	35,410.12
27.	उत्तरांचल $				1,387.18	6,626.50
28.	पश्चिम बंगाल	729.42	1,331.77	4,997.43	13,303.52	14,345.50
	योग (राज्य)	**16,557.06**	**31,424.80**	**93,833.81**	**185,259.63**	**254,091.51**

टिप्पणी : * : छठी योजना के दौरान यह एक संघ राज्य क्षेत्र था ।

: छठी योजना के दौरान दमन व दीव सम्मिलित थे ।

$: नबम्बर, 2002 में प्रभाव में आया ।

स्रोत : योजना आयोग

6.8 जैसा कि तालिका 6.1 से देखा जा सकता है कि राज्य योजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता पिछले तीन दशकों में पर्याप्त मात्रा में बढ़ती रही हैं। राज्यों के विकास प्रयासों के लिए केन्द्रीय सहायता नियमित रूप से उपलब्ध रही है और इसे वास्तविक संसाधनों के रूप में समर्थन मिलता रहा है।

6.9 तथापि, विगत में दी गई इस सहायता के उपभोग के रिकार्ड में सुधार की गुंजाइश है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता पर नजर डालने से पता चलता हैं कि नौवीं योजना के प्रत्येक एवं हर एक वर्ष में, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर व-र् के आरम्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिबद्धित राशियों की तुलना में वास्तविक रूप में दी गई राशि कम रही है(तालिका 6.2)। चूकि अधिकतर जारी की जाने वाली धन राशियां फार्मूला आधारित होती है। (सामान्य केन्द्रीय सहायता के मामले में) अथवा निर्धारित होती है। (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के मामले में), यदि कार्यान्वयन सहमत योजना अनुसार हो तो सामान्यता धन राशियों को जारी करने में कमी नहीं होनी चाहिए। इससे यह पता लगता है कि भिन्न-भिन्न कारणों से समग्र रूप से राज्यों द्वारा केन्द्रीय सहायता का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं किया गया। जैसा कि आवश्यकताओं के संदर्भ में, योजना के वित्तपो-ाण के लिए अतिरिक्त संसाधनों की हमेशा कमी रहेगी, प्रत्येक राज्य के विशि-ट कारणों का विश्ले-ाण करने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है तथा दसवीं योजना अवधि में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने के लिए उचित तरीकों को अपनाना चाहिए।

6.10 जैसा की तालिका 6.3* से स्प-ट है, केन्द्रीय सहायता सहित नौवीं योजना की तुलना में दसवीं योजना में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का कुल प्रक्षेपित योजना परिव्यय अधिक होगा।

*: दसवीं योजना के परिव्ययों के राज्यवार विवरणों, जो इन परिव्ययों का क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय वितरण दर्शाता हैं, को इस अध्याय के अनुलग्नक 6.1 में दिया गया है।

तालिका 6.2

केन्द्रीय संसाधनों का उपयोग (ईएपी के लिए एनसीए, एसीए, अन्य एसीए : नौवीं योजना)

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं0	स्कीमों का नाम	1997-98			1998-99			1999-00			2000-01			2001-02		
		बजट	वास्तविक व्यय	% परिवर्तन	बजट	वास्तविक व्यय	% परिवर्तन	बजट	वास्तविक व्यय	% परिवर्तन	बजट	वास्तविक व्यय	% परिवर्तन	बजट	वास्तविक व्यय	% परिवर्तन
0	1	2	3		4	5		6	7		8	9		10	11	
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	13403.5	13499.34	0.72	15037	13874.30	-7.73	16540	15126.68	-8.54	16540	14803.92	-10.50	18434.00	16591.62	-9.99
2.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	5000	5976.13	19.52	5000	4824.89	-3.50	5500	6341.06	15.29	6000	8093.24	34.89	6500.00	10945.23	68.39
3.	अन्य $	7481	4947.81	-33.86	8490	7867.06	-7.34	9878.41	8869.87	-10.21	13203	9524.19	-27.86	14548	8600.07	-40.88
4.	योग	25884.5	24423.3	-5.65	28527.0	26566.25	-6.87	31918.41	30337.6	-4.95	35742.8	32421.4	-9.29	39482.0	36136.9	-8.47

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्रावधान बजटीय आंकड़ों में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के लिए है।

$ इसमें विशिष्ठ परियोजनाओं, क्षेत्र कार्यक्रमों तथा रा-ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों, विशि-ठ लक्ष्य समूहों अथवा क्षेत्र के लिए एक बार की अतिरिक्त केन्द्रिय सहायता शामिल है।

स्रोतः वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय बजट खंड 1 के विवरणी 16 और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निधियाँ।

तालिका 6.3
नौवीं योजना के वास्तविक बनाम दसवीं योजना परिव्यय

(रूपये करोड़)

क्रम सं.	राज्य	नौवीं योजना व्यय	दसवी योजना प्रक्षेपित परिव्यय
0	1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	28279.37	46614.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	2592.63	3888.32
3.	असम	7211.44	8315.24
4.	बिहार	11093.98	21000.00
5.	छत्तीसगढ़	1312.00	11000.00
6.	गोवा	1476.88	3200.00
7.	गुजरात	25800.95	40007.00
8.	हरियाणा	8035.41	10285.00
9.	हिमाचल प्रदेश	7922.00	10300.00
10.	जम्मू व कश्मीर	7850.17	14500.00
11.	झारखण्ड़ं	2250.00	14632.74
12.	कर्नाटक	31125.58	43558.23
13.	केरल	13922.48	24000.00
14.	मध्य प्रदेश	17425.08	26189.93
15.	महाराष्ट्र	46964.10	66632.00
16.	मणिपुर	1787.01	2804.00
17.	मेघालय	1827.15	3009.00
18.	मिजोरम	1758.77	2300.01
19.	नागालैण्ड	1513.64	2227.65
20.	उड़ीसा	11964.82	19000.00
21.	पंजाब	10666.01	18657.00
22.	राजस्थान	19836.38	27318.00
23.	सिक्किम	1126.28	1655.74
24.	तमिलनाडु	24916.71	40000.00
25.	त्रिपुरा	2291.47	4500.00
26.	उत्तर प्रदेश	29417.39	59708.00
27.	उत्तरांचल	1813.11	7630.00
28.	पश्चिम बंगाल	21551.80	28641.00
	योग	**343732.61**	**561572.86**
29.	अंडमान व निकोबार	1751.90	2483.00
30.	चंड़ीगढ़	709.95	1000.00
31.	दादरा व नागर हवेली	220.90	304.00
32.	दमन व दीयू	177.06	245.00
33.	दिल्ली	13260.18	23000.00
34.	लक्षद्वीप	345.50	437.00
35.	पांडिचेरी	1449.28	1906.49
	सकल योग	**361647.38**	**590948.35**

टिप्पणीः नौवी योजना व्यय में 2001-02 के लिए वास्तविक व्यय के स्थान पर परिशोधित परिव्यय का प्रयोग किया गया हैं।

6.11 इस प्रकार से दसवीं योजना में राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता तथा समग्र वित्तपोषण की राशि में पर्याप्त वृद्धि होगी। अतः, अतिरिक्त निधियों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ कार्यान्वयन भी प्रभावी होना चाहिए और डिलीवरी प्रणालियों की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। इस वक्त तक का तजुरबा यह रहा है कि बेहतर परिणामों के लिए गरीबी-उन्मुख नीतिगत ढ़ांचे में बेहतर प्रशासन और कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन जरूरी है।

6.12 विकास कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियों, समुचित नीति संरचना तथा एक प्रभावी डिलीवरी तन्त्र का होना आवश्यक हैं। विगत के अनुभव यह बताते है कि अकेले निधियों की उपलब्धता आवश्यक हो सकती है परन्तु गरीबी तथा पिछड़ेपन की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए निर्धारक कारक है, वित्तपोषण करने वाली सरकारों/मंत्रालयों द्वारा व्यवहार्य स्कीम बनाने की क्षमता और डिलीवरी तन्त्र द्वारा धन राशियों का अधिकतम उपयोग करने की योग्यता घटक प्रतीत होते है।

6.13 दसवीं योजना के दौरान, योजना आयोग का लक्ष्य राज्यों को योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी, बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए उन्हे विशे-ाज्ञ तकनीकी निवेश तथा सलाह देना हैं। यह सब राज्यों के द्वारा जिस समग्र पर्यावरण को भोगना पड़ रहा है उसकी पृ-ठभूमि में किया जाएगा। राज्यों को उभरतें हुए नए बाजार पर आधारित तथा वैश्वीकृत पर्यावरण के ढ़ांचे के अन्दर प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता हैं। इस नए पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए, योजना आयोग को अधिक संकेन्द्रित अनुसंधान, विश्ले-ाण तथा विकीर्णन प्रयासों के माध्यम से उचित नीति अनुक्रियाओं से सहायता विकसित करनी होगी। आयोग ने जिन विशि-ट प्रक्रियाओं के द्वारा यह कार्य करना हैं उनमें से कुछ का उल्लेख अनुवर्ती पैराग्राफ में किया गया हैं।

6.14 राज्यों के संदर्भ में योजना आयोग की सलाहकार रूपी भूमिका को मूर्त रूप देने के लिए विधि में संचालनीकरण के लिए प्राथमिक विधि प्रत्येक राज्य के साथ प्रतिवर्-ा क्षेत्र-वार "कार्यकारीदल की ग्रुप चर्चा " है। इस कार्यकारी दल की आयोग से संबंधित वि-ायों के मामले के विशे-ाज्ञों तथा राज्य सरकारों से संबंधित विभागों के अध्यक्षों के बीच ग्रुप चर्चाए सरकारी स्तर पर विशि-ट क्षेत्रों के विशि-ट मामलों पर संकेन्द्रण रखना जारी रखेगा। कार्यकारी दल ग्रुप की चर्चा का प्रयोजन होगाः

(क) योजना स्कीमों के मुद्दों, समस्याओं तथा नि-पादन की समीक्षा ।

(ख) अनुभव बाटंना तथा पूरे देश में जहां लागू हों, सबसे अच्छी परिपाटियों तथा वर्तमान पद्धतियों में सुधार के तरीकों पर विचार,

(ग) जहां व्यवहार्य हो, तकनीकी सलाह तथा सहायता, तथा

(घ) परिव्ययों की प्राथमिकता के निर्धारण में सहायता।

6.15 कम विकसित राज्यों की समस्याओं के प्रत्युत्र में, जो संस्थागत तथा बाहरी वित्तपो-ण को आकर्-ित करने के लिए अपेक्षित मानक की परियोजनाएं तैयार करनें में समर्थ नहीं हैं, योजना आयोग ने बाहरी वित्त-पो-ण के लिए राज्यों द्वारा विकास परियोजनाओं की वित्तीय तैयारी के लिए एक परियोजना तैयारी सुविधा तैयार की हैं। यह सुविधा राज्यों को एक खुली तुलनात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित व्यवसायिक सलाहकारों की सहायता से परियोजनाएं तैयार करने में समर्थ बनाएगी।

6.16 इस सुविधा को स्थापित करने की पृ-ठभूमि यह है कि कुछ राज्य जिनमें महारा-ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश उल्लेखनीय है, ने अपनी परियोजनाओं के वित्त-पो-ण के लिए बाहरी तथा संस्थागत स्रोतों का उपयोग करने में सफल रहे हैं। अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया हैं प्रायः इसका कारण उचित परियोजनाओं की कमी नहीं हैं। इसके कम से कम दो अन्य कारक है। पहला कारण एक राज्य की उधार क्षमता अथवा इसके कार्यान्वयन का रिकार्ड। इस कारण का निदान आधारिक संरचना के साथ जुडा है।

6.17 साथ ही, एक बहुत अन्य महत्वपूर्ण कारण यह हैं कि कई राज्य परियोजनाओं की व्यवसायिक तैयारी न कर सकने के कारण तथा प्रस्तावों की समुचित संरचना न कर सकने के कारण विफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बजटीय प्रस्तावों से भिन्न मामले में, परियोजनाओं के प्रस्तावों को विदेशों तथा बाहरी एजेंसियों को वित्तपो-ण के लिए उधार देने वालों की आशाओं के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। तथापि, प्रतिि-ठित विशे-ज्ञों द्वारा परियोजनाओं की व्यवसायिक तैयारी आंतरिक तैयारी कर तुलना में खर्चीली है। इसलिए, वर्तमान युग के राज्यों द्वारा सामनें किए जा रहें कठोर राजको-ीय बाध्यकारिताओं के कारण अधिकतर राज्य आरम्भिक परियोजना तैयारी "बीज राशि" को लगाने के समर्थ नहीं हैं जो कि निवेश वित्त-पो-ण को आर्कि-ित करने के लिए आवश्यक हैं तथा इसलिए, ऐसे वित्त-पो-ण तक पहुंचने की पूर्व-अर्हताओं को पूरा करने में असफल होते हैं। इस पृ-ठभूमि की वास्तविकता को मानते हुए, वेशक कुछ विदेशी सहायता ऐजेसियां परियोजना तैयारी सुविधा नर्म या संतो-नजनक प्रस्तावों को तैयार करने में आसान शर्तों पर अनुदान देती हैं।

6.18 इसलिए, यह आवश्यक समझा गया हैं कि बाहरी वित्त-पो-ण प्राप्त करने के लिए राज्य को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तदनुसार, राज्यों की ऐसी आवश्यकता के प्रत्युतर में योजना आयोग द्वारा परियोजना तैयारी सुविधा सृजित की गई हैं। उक्त सुविधा की मूलभूत विशे-ताएँ निम्न प्रकार से हैः

(क) इस सुविधा का लाभ प्रथमतः उन राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाएगा जो अपने राज्यो में परियोजनाओं के लिए विदेशी और संस्थागत वित्तपो-ण आकर्-ित करने में अपेक्षाकृत कम सफल रहीं है।

(ख) एक राज्य से किसी एक प्रस्ताव के वित्त-पो-ण की एक आंतरिक उच्च सीमा होगी।

(ग) प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के बारे में राज्यों को प्रारम्भिक कार्रवाई करनी होगी और उसमें विदेशी वित्त सहायता प्राप्त करने की समूचित गुंजाइश है।

6.19 इसी प्रकार, कई राज्य कार्यान्वयन में सुधार लाना चाहते है और दूसरों द्वारा अपनाए गए तरीकों से संम्बधित सूचना प्राप्त करना चाहतें है ताकि उनका नि-पादन बेहतर हो सके। योजना आयोग, ऐसी सूचनाओं के भण्डार का एक मात्र स्थान हैं जो राज्यों के साथ सभी क्षेत्रों में आपसी बातचीत करता हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति करने, प्रशासन और कार्यान्वयन में सर्वोत्तम परिपाटियों को प्रोत्साहित करने और राज्यों में कार्यान्वयन के स्तर को ऊचा उठानें के लिए योजना आयोग प्रयासरत है और इस प्रयोजनार्थ योजना आयोग द्वारा राज्यों में सबसे अच्छे तरीकों का सारांश प्रस्तावित किया जा रहा हैं।

6.20 संयुक्त रा-ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के सहयोग से योजना आयोग, सरकारी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा वित्तरण को पहचानने

तथा उजागर करने वाले माडलों के सफल प्रबन्धन पहल तथा अच्छी पद्धतियों का एक संकलन तैयार कर रहा हैं। इसका उद्देश्य प्रतिकृत योग्य सफल कहानियों के दस्तावेज को रा-ट्रीय स्तर तथा राज्य सरकारों के बीच मे से प्राप्त अनुभव को प्रयोग में लाया जा सकता है। उस मैनुअल का बृहत प्रचार एवं प्रसार किए जाने का इराद ा है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिन पर यह संकेन्द्र किया जाना हैं, वह हैं, समाज सेवाओं, भूमि तथा जल प्रबन्धन, तथा सरकार के साथ प्रभुत्व रूप से सम्पर्क में आने वाले क्षेत्रों में कार्यनीतियां बनाना। संकलन 2002-03, दसवीं योजना के प्रथम व-र्ा तक पूरा किए जाने का लक्ष्य हैं तथा इसे जब कभी आवश्यक होगा, अद्यतन किया जाएगा।

6.21 योजना आयोग राज्यों द्वारा विकास व्ययों की प्रभाविता के मूल्यांकन के लिए प्रबोधक योग्य संकेतक भी निर्धारित करेगा। योजना लक्ष्य तथा कार्यक्रमो का भी दसवीं योजना के दौरान गहन प्रबोधन किया जाएगा। यह कार्य प्रत्येक राज्य के लिए दसवीं योजना की अवधि के दौरान अलग-अलग नियमित तिमाही नि-पादन समीक्षाओं (ति.नि.स.) की प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इस से आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच लगभग नियमित रूप से चर्चाएं जारी रहेंगी, जिससे उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रक्रियाएं और जहां कहीं आवश्यक हो, योजना में मध्यावधि में शोधन करने की सुविधाएं देना है।

6.22 योजना आयोग ने संबंधित राज्यों के साथ मिलकर अनेक राज्यों के लिए राज्य विकास रिपोर्ट (रा.वि.रि.) की तैयारी का सूत्रपात किया हैं। पहले चरण में, 13 राज्यों, अर्थात, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, महारा-ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, तथा पंजाब को लिया गया है।

6.23 प्रत्येक रिपोर्ट एक कोर कमेटी के पर्यवेक्षण में तैयार की जा रही है। इस कोर कमेटी का अध्यक्ष योजना आयोग का एक सदस्य होगा तथा उसमें राज्य सरकार का एक वरि-ठ प्रतिनिधि होगा। तेरह राज्यों की रिपोर्टें प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं, अधिकांश रिपोर्टों को दसवीं योजना के पहले दो व-र्ाो के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दसवीं योजना के दौरान शे-ा पहचान किए गए राज्यों के लिए रिपोर्टों की तैयारी सम्बंधित कार्य हाथ में लिया जाएगा।

6.24 इन रिपोर्टों के प्रकाशन का उद्देश्य विकास की रूपरेखा पर एक गुणवत्ता संदर्भ दस्तावेज उपलब्ध कराना तथा मुख्य राज्यों की संवृद्धि दर को गति प्रदान करने के लिए कार्यनीतियां तैयार करना है। मंशा यह है कि रा-ट्रीय स्तर की विशे-ाज्ञ एजेंसियों की सहायता से एक अलग विश्वसनीय दस्तावेज तैयार कया जाए। तथापि, ये मात्र दस्तावेज ही नहीं होगें। इन रिपोर्टों की तैयारी के पीछे इस वास्तविकता को स्वीकारना हैं कि विकास आयोजना के कई दशकों में राज्यों में संवृद्धि नि-पादन में काफी अधिक अंतर उभर कर सामने आए हैं। कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के एक ग्रुप के लिए भवि-य में कम संवृद्धि दरों को जारी रखना, जबकि देश का शे-ा भाग सन्तुलित संवृद्धि प्राप्त कर रहा हो, इसका मतलब है कि अन्तर-राज्यीय असमानता की बढ़ोत्तरी जारी रहेगी तथा गरीबी आज की अपेक्षा अधिक क्षेत्र विशे-ा में सकेन्द्रित हो जाएगी। इसलिए, इन रिपोर्टों की मंशा क्षेत्रीय असमानताओं सम्बंधी चिन्ता है। रा.वि.रि. मध्यावधि कार्यनीतियां तैयार करेगा जिन्हें अपनाया जाना जरूरी है ताकि असमानताएं और गरीबी कम की जा सके और संवृद्धि दर बढ़ाई जा सके।

6.25 यह रिपोर्टें एक उपयोगी संदर्भ सामग्री के रूप में काम आएंगी। एक विशि-ट राज्य विकास रिपोर्ट राज्य की रूपरेखा तैयार करेगी, संसाधनों का एक मूल्यांकन बनाएगी तथा अगली योजना अवधि तथा उसके बाद में मुख्य क्षेत्रों के लिए भावी संवृद्धि परिकल्पनाएं उपलब्ध कराएंगी। यह राज्य में क्षेत्रीय विस्तारों की संवृद्धि लाएगी। जो राज्य में विकास के व्यवसायियों के लिए लाभदायक होगी। अन्ततः यह रिपोर्ट क्षेत्रीय परिदृश्य की वास्तवकिता में नाजुक संसाधन दूरी तथा वांछित नीति निर्देशों को सुस्प-ट करने, जो कि बदले में भवि-य में राज्य के लिए संवृद्धि को गति देने तथा सघन गरीबी को कम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी।

क्षेत्रीय असमानताएं

6.26 मुख्य चिन्ताओं में से एक जिसे दोनों नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन और इस खण्ड के विश्ले-ाण में रेखांकित किया गया है, वह यह है कि राज्यों के बीच असमानताएं बढ़ रही हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए दसवीं योजना के दौरान देश को जो प्रमुख कार्य करना है वह है इन असमानताओं को कम करना। जैसाकि हमने देखा है, कुछ सीमा तक अच्छे आधारिक संरचना वाले राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक निजी निवेश को अपेक्षाकृत अधिक आकर्ि*त करने लगे हैं। इसलिए पिछड़े क्षेत्रों के राज्यों में गति देने के लिए एक बहुआयामी गति की आवश्यकता हैं। इस कार्यनीति का एक आवश्यक तत्व पूंजीगत निवेशों का उच्चतर

स्तर होना ही होगा। केन्द्रीय सहायता राज्यों के अपने संसाधनों के सार्थक भागों को मूल विकास उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाने चाहिए तथा कम विकसित राज्यों में आवश्यक ढांचा दूरियों को बन्द करना चाहिए।

6.27 लक्षित निवेशों को पिछले निवेशों की तुलना में वास्तव में अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रबन्धन एवं संस्थागत सुधारों के द्वारा सुसंगत करना होगा। क्षेत्रीय तनावों को कम करने में अधिकारों और कार्यों की स्थानीय निकायों को विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अतिरिक्त इससें किसी राज्य में क्षेत्रों के लिए उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का प्रतिरूप स्थापित करने की भी अधिक गुंजाइश होगी। लोगों की सहभागिता को सुदृढ़ करना जिसके साथ समाज और गैर-सरकारी संस्थाओं को सक्रिय प्रोत्साहन देना शामिल है, भी काफी मददगार साबित होगा।

6.28 क्षेत्रीय असमानताएं को कम करने के लिए योजना आयोग की कार्यनीति का एक मुख्य तत्व विकसित क्षेत्रों को लक्षित करना होगा जिसके तहत पूंजीगत निवेशों के लिए निधियों तथा संस्थागत सुधारों से संबद्ध नए डिलीवरी तंत्र उपलब्ध कराने होगें। आयोग क्षेत्रीय अप्रोच की पैरवी करेगा और नियोजन के विकेन्द्रीकरण को सुदृढ़ करेगा।

6.29 दसवीं योजना में विशे-न रूप से, रा-ट्रीय सम विकास योजना (रा.स.वि.यो.) कही जाने वाली नई स्कीम को इस क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों के समर्थन के लिए तैयार किया गया हैं। रा.स.वि.यों. एक नई पहल है जिसके लिए वार्-िक योजना 2002-03 में 2500 करोड़ रू. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। रा.स.वि.यों. का मुख्य लक्ष्य उन क्षेत्रों की विकास समस्यायों से निपटना हैं जिनमें वर्तमान प्रयासों के बावजूद, अधिक गरीबी, कम संवृद्धि तथा अकुशलता जारी है। यह पिछड़े भाग वर्तमान नीतियों एंव प्रशासनिक प्रक्रियाओं की असफलताओं को दर्शाते हैं तथा इसलिए यदि हमें समानुपातिक तथा सन्तुलित संवृद्धि चाहिए तो इन क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। रा.स.वि.यों. का लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकासीय कार्यक्रमों पर सकेन्द्रित होगा जिससे राज्यों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुधारों को सुविधाजनक बनाने के अतिरिक्त असन्तुलनों को कम करने में त्वरित विकास तथा पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलेगी ।

6.30 यदि संबंधित राज्य सरकार सुधारों के सहमत कार्य करने के लिए वचन देती है तो विन्यस्त पर यह कार्यनिति केवल रा.स.वि.यो. के अर्न्तगत अतिरिक्त अनुदानों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहयोग के लिए हैं। यहां मूल आधार-वाक्य यह है कि अकेली निधियां पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सकती-प्रशासनिक तथा राजको-ीय ढांचें में सुधारों, साधारण लोगों के दिन-प्रति-दिन के जीवन से संबंधी नीतियों में तथा वित्तीय एंव प्रशासनिक अधिकारों के हस्तांतरण के तरीके से निधियों को उनकी प्रतिपूर्ति बनाने की आवश्यकता हैं। इसप्रकार से उठाए जाने वाले सुधारों से संबंधित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर त्वरित प्रभाव पड़ने की आशा है।

6.31 रा.स.वि.यों. शतप्रतिशत एक अनुदान कार्यक्रम होगा जों राज्यों के लिए सुधारों को लागू करनें के लिए एक प्रोत्साहन होगा। यह चालू स्कीमों के अंर्तगत निधियों के प्रवाह के अतिरिक्त होगा तथा निधियों का वितरण नि-पादन पर आधारित होगा। रा.स.वि.यों. के अन्तर्गत चार घटकों का प्रस्ताव हैः (i) बिहार के लिए विशे-न योजना; (ii) के बी के जिलों के लिए विशे-न योजना; (iii) पिछड़े जिलों की पहल, तथा (iv) सुधार घटक ।

(i) बिहार के लिए विशे-न योजना

इस घटक के अन्तर्गत, जैसे विद्युत, सिंचाई, जलसंभरों का विकास आदि जैसे पहचान किए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि राज्य के बंटवारे से उत्पन्न समस्याओं को कुछ कम किया जा सकें। इसका लक्ष्य नवीन वितरण प्रणालियों का प्रयोग करना हैं ताकि इन क्षेत्रों की वर्तमान समस्याओं से उभरा जा सके तथा राज्य के भवि-य में विकास के लिए मूल आधिकारिक संरचना उपलब्ध कराई जा सकें।

(ii) के बी के जिलों के लिए विशे-न योजना

आठ के बी के जिलों की विलक्षण असुविधाजनक स्थिति को स्वीकारते हुए, इस घटक का उद्देश्य लगातार गरीबी तथा उड़ीसा के के बी के जिलों में कठिन जीवन दशाओं द्वारा पहचानित नाजुक क्षेत्रों में सामजंस्य कार्रवाई के द्वारा कम करने के लिए निधियां उपलब्ध करानी हैं। इससे सूखा प्रमाणता को सुनिश्चित करने, जीविका सहायता उपलब्ध कराने,अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ असुविधाजनक ग्रुपों को विशि-ट सहायता प्रदान करना है। इन अतिरिक्त निधियों का प्रयोग प्रक्षेपित तरीके से करना हैं ताकि समय बद्ध तरीके से इस क्षेत्र में स्प-ट परिणाम उपलब्ध हों।

(iii) पिछड़े जिलों के लिये

योजना आयोग के द्वारा विशे-न ध्यान के लिए कुल 100 पिछड़े जिलों की प्रत्यक्ष पहचान कर ली गई हैं। इस पहल के अन्तर्गत, पहले व-र्ा अर्थात 2002-03 में पायलट आधार पर 25 पिछड़े जिलों को लिए जाने का प्रस्ताव हैं। अगले व-र्ा, 35 जिलों को लिया जाएगा तथा शे-न 40 जिलों को आने वाले व-र्ा में लिया जाएगा। इस घटक के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को पहचानित जिलों के लिए योजनाएं तैयार करनी होगीं। जिला योजनाओं में ऐसी स्कीमें सम्मिलित होगी जों महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने में सहायक होगा या जो जिले के भावी विकास के लिए उत्पेरण के रूप में कार्य कर सकेगी। जिला प्राधिकारियों से यह आशा की जाएगी कि वे वर्तमान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों तथा नवीन वितरण प्रणालियों का प्रयोग करें ताकि अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई धन राशि से अधिकतम लाभ उठाया जा सकें।

(iv) सुधार घटक

जैसा कि पहले बताया जा चुका हैं, नौवीं योजना में, विकास के अनुभव ने यह दर्शाया हैं कि विकास प्रक्रिया में मात्र निधियां ही रूकावट नहीं हैं। प्रायः यह एक रास्ता है जिसमें वर्तमान नियमों तथा विनियमों को सेवाओं के वितरण में प्रयोग/व्याख्या में किया जाता हैं तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली जो सेवाओं की पहुंच की समस्या को पैदा करती हैं तथा गरीब द्वारा किए गए कार्य का मात्र भुगतान करती हैं। सुधार घटक के अन्तर्गत सभी राज्य वित्त-पो-ाण के लिए पात्र होगें। प्रत्येक राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.ए.) हस्ताक्षरित किया जाएगा जों सहमत सुधारों को दर्शाएगा (विनिर्दि-ट सूची में से राज्यों द्वारा चुना गया)। राज्य गाड़गिल-मुखर्जी फार्मूले के आधार पर निधियां प्राप्त करनें के लिए पात्र होगे तथा प्रत्येक सुधार को आंकने के नि-पक्ष रूप से सत्यापनीय संकेतक होगें तथा सुपरिभाि-त समय सीमा होगी। सुधारों की सूची के विवरण निम्न खण्ड में अलग से दर्शाए गए हैं।

राजको-ीय एवं अन्य सुधार

6.32 जैसा कि अध्याय-2 में नोट किया गया हैं, राज्यों के वित्त पिछली दो योजना अवधियों से नियमित रूप से बिगड़ रहें हैं। नौवीं योजना में यह कुछ अधिक बिगड़े है चालू राजस्वों पर ऋणात्मक अधिशे-ों तथा प्रतिबद्ध व्ययों के बढ़ते भार के परिणाम स्वरूप, राज्यों के विकास व्ययों को कम किया जा रहा है। सभी राज्य राजको-ीय तंगी से जूझ रहे हैं, इन में से कुछ गम्भीर रूप से जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ, राज्य सरकार के सहमत व्ययों से अलग कठिन वित्तीय स्थिति में हैं, केन्द्रीय प्रयोजित योजना स्कीमों के लिए भी प्रतिस्थानी वित्त-पो-ाण आवश्यकताओं के अंशदान उनकी योग्यता को कम करने तथा उनके द्वारा इच्छित निर्देशों में सीधे योजना निवेश करने की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हैं।

6.33 स्थिति से उभरने का कोई छोटा रास्ता नहीं हैं। राज्यों के लिए राजको-ीय दबाब से मुक्त होने का केवल एक रास्ता सभी प्रकार के कर बढ़ाने तथा गैर-कर संसाधनों को गतिशील करने के प्रयासों के साथ-साथ स्टाफ तथा प्रशासनिक व्यय कम करने के निश्चयता तथा वित्त का पुनर्गठन करने के लिए राजको-ीय सुधारों को अपनाना तथा उन्हें निरंतरता के आधार पर लाना है।

6.34 जैसा कि नोट किया गया था कि दसवीं योजना में प्रक्षेपित परिव्यय नौवीं योजना के व्ययों की तुलना में सभी राज्यों के लिए अधिक हैं, तथापि वृद्धि के अनुपात में काफी अन्तर है। दसवीं योजना के अनुमानित परिव्यय की तुलना में नौवीं योजना के वास्ताविक व्यय में बढ़ोत्तरी की श्रेणी में असम में लगभग 15 प्रतिशत से गोवा के मामले में 116 प्रतिशत का अन्तर हैं।

6.35 यह अन्तर या तो राज्यों को केन्द्रीय सहायता में विभिन्नताओं या योजना के वित्त-पो-ाण के लिए राज्य के अपने संसाधनों को गतिशील करने में विभिन्नताओं के कारण हो सकते हैं। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के अनुसार सभी राज्यों के लिए तथा राज्य क्षेत्र में विभिन्न केन्द्रीय स्कीमों के लिए राज्यों की पात्रता अनुपातिक बढ़ोत्तरी प्रक्षेपित हैं । इस प्रकार अंतरीय बढ़ोत्तरी लगभग पूरी तरह से उस राज्य की अपने संसाधनों को गतिशील बनाने की योग्यता पर निर्भर हैं । यह तालिका 6.4 से देखा जा सकता है।

6.36 बड़े आकार की योजना बनाना तथा विकास के प्रयोजन के लिए अधिक संसाधन लगाने के योग्य होने के लिए एक मात्र रास्ता यही है कि जहां तक हो सके राज्य अपने संसाधन स्वंय जुटाएं। यधपि, सभी राज्यों के पास अपने संसाधन जुटाने की एक जैसी क्षमता नहीं होती तथा इसके लिए विशे-ा वर्ग के राज्यों के रूप में एक विशे-ा तंत्र भी है तब भी यह स्वीकारा जाना चाहिए कि केन्द्रीय सहायता में वृद्धि पर निर्भरता की सीमाएं हैं। जिससे कि विकास परिव्ययों के विस्तार को सहारा जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास परियोजनों

के लिए राज्यों द्वारा सार्वजनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाए राजको-नीय और क्षेत्रीय सुधारों की आवश्यकता हैं। बजाए इसके कि ऐसे प्रति-ठानों को बनाए रखा जाए जिनमें संसाधन व्यर्थ जाए जैसा की वर्तमान में हो रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य अर्थव्यवस्था में यह सुधार उत्पादक ताकतों को उन्मुक्त कर देगें तथा राज्य की पहले से अधिक संवृद्धि दरें प्राप्त करने की क्षमता का उपयोग करेंगें। एक वह राज्य जिसमें सुधार हो रहे हैं वह अपने विकास प्रयासों से एक वातावरण भी तैयार करता है जो इसे बाहरी निधियों को आकर्नित करने में समर्थ बनाता है।

तालिका 6.4

दसवीं योजना में केन्द्रीय सहायता तथा राज्यों के अपने संसाधन

(रूपये करोड़)

क्रम सं.	राज्य	राज्यों के अपने संसाधन	केन्द्रीय सहायता	योग
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आंध्र प्रदेश	24,372.11	22,241.89	46614.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	492.07	3,396.25	3,888.32
3.	असम	-1,212.37	9,527.60	8,315.23
4.	बिहार	9,278.59	11,721.41	21,000.00
5.	छत्तीसगढ़	6,896.43	4,103.57	11,000.00
6.	गोवा	2,547.60	652.40	3,200.00
7.	गुजरात	26,850.66	13,156.34	40,007.00
8.	हरियाणा	7,105.00	3,180.00	10,285.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4,760.00	5,540.00	10,300.00
10.	जम्मू व कश्मीर	2,679.45	11,820.55	14,500.00
11.	झारखण्ड़ं	10,566.33	4,066.41	14,632.74
12.	कर्नाटक	25,565.40	17,992.82	43,558.22
13.	केरल Ŝ	13,161.45	10,838.55	24,000.00
14.	मध्य प्रदेश	16,021.80	10,168.13	26,189.93
15.	महाराष्ट्र	56,861.61	9,770.39	66,632.00
16.	मणिपुर	-362.42	3,166.42	2,804.00
17.	मेघालय	-23.71	2,323.15	2,299.44
18.	मिजोरम	-346.93	2,399.44	2,052.51
19.	नागालैण्ड	-366.82	2,594.47	2,227.65
20.	उड़ीसा	4,392.28	14,607.72	19,000.00
21.	पंजाब	14,678.00	3,979.00	18,657.00
22.	राजस्थान	17,677.44	9,640.56	27,318.00
23.	सिक्किम	95.50	1,560.24	1,655.74
24.	तमिलनाडु	24,993.87	15,006.13	40,000.00
25.	त्रिपुरा	491.55	4,008.45	4,500.00
26.	उत्तर प्रदेश	24,297.88	35,410.12	59,708.00
27.	उत्तरांचल	1,003.50	6,626.50	7,630.00
28.	पश्चिम बंगाल	14,295.50	14,345.50	28,641.00
	योग (राज्य)	306,771.77	253,844.01	560,615.78

Ŝः विद्युत क्षेत्र योजना के लिए 3/02.40 करोड़ रू. सम्मिलित हैं ।

स्रोतः- योजना आयोग

6.37 दसवीं योजना में, योजना आयोग राज्य स्तर पर सुधारों को कई प्रकार की सुधार से जुड़ी वित्त-पोषण सुविधाओं के माध्यम से बढ़ावा देगा। इस प्रकार से यह उन राज्यों को वित्त उपलब्ध कराएगा जो विशेषतः विद्युत, सिंचाई तथा शहरी आधारिक संरचना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष रूप से सुधार करने के लिए सहमत होगें।

विद्युत क्षेत्र

6.38 राज्य स्तर पर, विद्युत क्षेत्र राज्य के संसाधनों को खर्चा करने के लिए अकेला बहुत उत्तरदायी क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र के प्रबंधन में जो विकृतियां उत्पन्न हो गई है उन्हें सही करनें के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) राज्यों को विधुत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निवेश सहायता उपलब्ध कराएगा। ए.पी.डी.पी. (क) पुराने विद्युत सयंत्रों (थर्मल तथा हाइडल) के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार/ अद्यतन करने, तथा (ख) उर्जा लेखा-जोखा एंव मीटिरिंग सहित उप-पारे-ण एंव वितरण नेटवर्क के उच्चीकरण से संबंधित परियोजनाओं का वित्त-पो-ण करेगा।

6.39 त्व.वि.वि.का. राज्यों में विद्युत क्षेत्र में उन्तोलन-शक्ति में सुधारों के लिए गठित की गई हैं। इसलिए, उन राज्यों की परियोजनाओं को वरीयता दी जाएगी जो स्वंय को निम्न प्रकार से दिए गए सुधारों के समयबद्ध कार्यक्रम के लिए वचनबद्ध करेगें।

(क) वह राज्य जो राज्य बिजली नियामक आयोग (रा. बि. नि.आ.) की स्थापना करेगें तथा कानून के अन्तर्गत इसका संचालन करेगें और जहां राज्य विद्युत सेवाओं ने दरसूची (टेरिफ) निर्धारित करने के लिए पहला प्रस्ताव रा.बि.वि.आ. को भेजा हो।

(ख) वह राज्य जिन्होनें अलग-अलग लाभ केन्द्र पुर्नसंरचना जनरेशन/पारे-ण/वित्तरण की लेखाविधि प्रणाली बना ली हो। उदाहरण के लिए, प्रत्येक क्षेत्र के वितरण तथा निजीकरण के उद्देश्य के लिए राज्य को कई क्षेत्रों में बाटंना या विकल्प के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र प्रबन्धन में सुधार सम्भाव्य न होने के मामले में बिजली वितरण का दायित्व पंचायतों/ प्रयोग में लाने वाली समितियों/सहकारिताओं/ मताधिकारों को देना।

(ग) वह राज्य जिन्होनें योजनागत तरीकों से 100 प्रतिशत मीटर लगाने का कार्य पूरा कर लिया हो। चरण- I के अन्तर्गत, सभी 11 के वी तक बाहरी फीडरों तथा सभी उच्च वोल्टता/बड़े ग्राहकों को कवर किया जाना हैं। चरण- II के अन्तर्गत सभी अन्य ग्राहकों को सहमत तिथि तक कवर किया जाएगा।

(घ) त्व.वि.वि.का. की निधियां उन राज्यों को उपलब्ध कराई जांएगी जिन्होनें संचालन दक्षता तथा वित्तीय व्यवहार्यता का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया हो।

6.40 विद्युत क्षेत्र के सुधारों को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासनित मध्य-अवधि राजको-नीय, पुनर्गठित कार्यक्रम के घटक के रूप में भी समर्थित किया जाएगा।

सिंचाई क्षेत्र

6.41 इसी प्रकार, योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक निवेश का एक अन्य मुख्य क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र है। एक तरफ सिचांई में अधिक निवेशों ने अब तक अनुरूप उपज नहीं दी है तथा दूसरी तरफ, कई चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की कमी हैं। इन चिन्ताओं को दूर करने के लिए, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (त्व.सि.ला.का.) चालू राज्यों में अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता देने के लिए किया गया हैं ताकि राज्यों में उन परियोजनाओं को समर्थन मिल सके जो पूरी नहीं हुई हैं।

6.42 क्षेत्र में राज्य स्तर के सुधारों को पांच-व-र्ा की अवधि में निम्नलिखित ढांचे के अन्दर प्रोत्साहित किया जाएगाः

i) पहले व-र्ा के अन्त में, राज्य सरकार वर्ग-वार चालू परियोजनाओं की गणना पूरी करके संचालन एंव अनुरक्षण (सं. एंव अ.) रू. प्रति है के रूप में निवल राजस्व संग्रह के आकंड़े भिजवाएगी।

ii) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य, तीन व-र्ा के बाद सिंचाई स्कीमों के लिए रू. 225/- प्रति हे. तथा बड़ी एंव मझली स्कीमों के लिए रू. 450/- प्रति हे. के अनुसार आगे जल दरों को बढ़ाएंगे जो बिना सहायता दिए आंवटन के योग्य हो सके।

iii) पांच व-र्ो के बाद, परियोजनाओं की सभी श्रेणियों

के लिए पूरे प्र. एंव अ. की कीमत पूरा करने के लिए राज्य और जल दरें बढ़ाएगें।

6.43 लघु सिंचाई क्षेत्र में सुधारों को प्रस्तावित रा-ट्रीय सम विकास योजना के भाग के रूप में सुधारों के लिए समर्थन दिया जाएगा।

शहरी क्षेत्र

6.44 दसवीं योजना के प्रथम व-र्ा से शहरी क्षेत्र में, एक शहरी संरचना प्रोत्साहन निधि भूमि तथा हाऊसिंग नीतियों में सुधारों को बढ़ावा देने, शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए सेवाओं का मूल्य लेना, जल आपूर्ति तथा अन्य नागरिक सेवाओं के लिए पर्याप्त अनुरक्षण उपलब्ध कराना तथा बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संरचना के विस्तार करने के उद्देश्य है।

6.45 शहरी सुधारों में आरम्भिक चरण में निम्नलिखित क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाएगा। अन्य शहरी सुधारों पर इन क्षेत्रों में प्रगति के बाद विचार किया जा सकता है।

i) शहरी भूमि सीमा तथा नियामक अधिनियम को राज्य स्तर पर प्रस्ताव द्वारा निरस्त करना ।

ii) दसवीं योजना की अवधि के अन्त तक स्टाम्प शुल्क को चरण में युक्तिकरण करके इसे 5% तक नीचे लाना।

iii) किराया नियंत्रण हटाने के लिए किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार ताकि निजी निवेश किराए के मकानों पर लगाया जा सके।

iv) पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया को आरंभ करना।

v) सम्पत्ति कर में सुधार ताकि यह शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का मुख्य स्रोत बन सके तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था ताकि दसवीं योजना अवधि के अन्त तक संग्रह दक्षता कम से कम 85 प्रतिशत तक पहुंच सके।

vi) दसवीं योजना अवधि के अन्त तक सं.एंव अ. की पूरी लागत को संग्रहित करने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उचित प्रयोग प्रभार की उगाही; तथा

vii) शहरी स्थानीय निकायों में लेखा व्यवस्था दोहरी प्रविन्टि प्रणाली लागू करना।

6.46 शहरी क्षेत्र में यह सुधार बहुत देर से लंबित हैं। प्रोत्साहन निधि उन पर केवल प्रकाश डालती है तथा उन्हें अपनाने के लिए, इसका समग्र आशय किराए के मकानों सहित मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित करना, लेनदेन की लागतों तथा सम्पत्ति लेनदेन को कम करना, निर्माण के लिए भूमि की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करना, तथा अपने नगरों में नागरिक सेवाओं को प्रोत्साहित करना है।

उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर के सुधार

6.47 ग्रामीण रोजगार में बढ़ती हुई उत्पादकता व उत्पादन के लिए उत्पादक बलों को निर्मुक्त करने की क्षमता रखने वाले कृनि क्षेत्र से संबंधित अन्य मुख्य सुधारों को कम विकसित राज्यों और कम विकसित क्षेत्रों के लिए लक्षित रा-ट्रीय सम विकास योजना के 'राज्य सुधार घटक' के माध्यम से सहायता दी जा रही है।

6.48 रा.सं.वि.यों. के लिए सुधारों की प्रस्तावित सूची के अर्न्तगत, राज्य सरकारों को नीति बाधाओं को हटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो विकास को बाधित कर रहें हैं तथा नीतिगत परिवर्तन लाएं जाएंगें जो पिछड़े क्षेत्र/जिले में स्वतः-निर्भर आधार पर विकास में तेजी लाएगा ।

6.49 प्रशासनिक सुधार जो सभी राज्यों को सुनिश्चित करने हैं, वह हैं :

- मुख्य प्रशासक, संबंधित जिलों के उपायुक्तों तथा लाइन विभागों के अध्यक्षों के लिए कम से कम दो व-र्ाों की अवधि को सुनिश्चित करना।
- परियोजना के चयन, गठन तथा कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता ।
- पंचायती राज सस्थानों तथा गैर-सरकारी संगठनों की संपूर्ण रूप से सहभागिता।

6.50 इसके अतिरिक्त, राज्यों के सुधारों की विस्तृत निम्नलिखित सूची में से सुधारों के एक सैट को चुनना होगाः

- कृनि उत्पाद मार्किटिंग अधिनियम
  - o कानूनी परिवर्तनः अधिनियम में संशोधन जो (i) किसानों द्वारा फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को सीधी बिक्री, (ii) निजी तथा सहकारी बाजारों की स्थापना की अनुमति दे।
  - o करों/फीसों/कमीशनों/अनाजों पर कर समाप्त करना तथा सभी मूल खाद्य उत्पादों पर कर कम करना। (कोई सेवा प्रभार बाजार में सेवा की उपलब्धता के साथ जुड़ा तथा उसके अनुरूप होना चाहिए)
- आवश्यक वस्तु अधिनियम (अ.व.अ.)
  - o अ.व.अ. के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं को निरस्त करना (भण्डारण, परिवहन, प्रोसेसिंग, मूल्य नियंत्रण)
- राज्य के उस कानून को निरस्त करना या संशोधन करना जो,
  - o दूध तथा दूध के उत्पादों की प्रोसेसिंग को सहकारिताओं तक सीमित रखता है।
  - o भण्डारण के लिए स्थान उपलब्ध कराने को प्रतिबन्धित करता है।
  - o खाद्यानों तथा खाद्य तेलों के निर्बाध गमनागमन का नि-ेध करता है।
  - o कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना पर नियंत्रण करता है।
- भूमि राजस्व कोड/भूमि सुधार कानून में संशोधन करना जो राज्यों को ठेकेदारी फार्मिंग के लिए भूमि पट्टे पर देने का अधिकार देते हैं।
- भूमि रिकार्डो का कम्प्यूटरीकरण एंव उन्हें अद्यतन करना।
- खाद्यानों के विकेन्द्रीकृत अधिग्रहण में आने वाली रूकावटों को दूर करना ।
- लघु सिचांई, जलसंभर विकास तथा जल फसल पर लागू नियमों एंव विनियमों में संशोधन करना ताकि पंचायत राज्य संस्थान, स्थानीय सरकारी संस्थान तथा व्यक्ति राज्य विभागों से बिना कानूनी/नौकरशाही रूकावट के इन गतिविधियों में भगा ले सकें।
- जल वितरण, जल प्रभारों के संग्रहण तथा स्थानीय सिंचाई चैनलों का स्थानीय जल वितरण सहकारिताओं को विकेन्द्रीकरण करना।
- भूमिगत जल की निकासी को नियमित करने के लिए कानून बनाना।
- वन तथा पर्यावरण कानूनों, नियमों तथा विनियमों से जनजाति-विरोधी, गरीब-विरोधी प्रावधानों को हटाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निजी तथा सहकारिता क्षेत्रों को विद्युत के उत्पादन एंव संवितरण की अनुमति के लिए विद्युत नीति में परिवर्तन करना।
- सभी सड़क परिवहन सेवाओं को निजी तथा कारपोरेट तौर पर प्रदान करने के लिए उदार कानून/नियम/विनियम बनाना।
  - o इसके लिए एक नियामक एजेंसी की आवश्यकता हो सकती है जो सुरक्षा तथा अन्य मानक सुनिश्चित कर सकें।
- सूचना अधिनियम का अधिकार
  - o सूचना के अधिकार का कानून पास करना तथा नियमों एंव विनियमों को अधिसूचित करना जिनमें नागरिकों को उनके नाम से किए गए सभी व्ययों पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार हों। (अर्थात गरीबों, भूमिहीन मजदूरों आदि के हित में किए गए सभी व्यय)।
- पंचायती राज संस्थान

- o स्थानीय सार्वजनिक माल की आपुर्ति के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को उत्तरदायित्व सौपना।
- o इन संस्थानों को निधियां तथा पद देना।
- o उन्हें कुछ विनिर्दि-ट सीमाओं के अन्दर स्थानीय कर लगाने का अधिकार देना। (न्यूनतम तथा अधिकतम दर)।

6.51 निम्नलिखित कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए राज्यों के लिए निम्नलिखित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना वांछनीय होगाः

(i) वित्त मंत्रालय के साथ मध्य-अवधि राजको-ीय सुधार ढांचा
(ii) विद्युत मंत्रालय के साथ त्वरित विद्युत विकास सुधार
(iii) जल संसाधन मंत्रालय के साथ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

राजको-ीय उद्देश्य एंव सुधार

6.52 ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में, वित्त मंत्रालय वित्तंआयोग द्वारा अधिदेशित प्रोत्साहन राजस्व हस्तानान्तरणों हेतु पात्र राज्य के लिए अपेक्षित राज्यों के राजस्व नुकसान को प्रतिव-र्ा 5 प्रतिशत तक घटाने के लिए कार्यक्रम के आधार को बनाने के प्रयोगार्थ मध्यम दर्जे के नुकसान में सुधार लानें के लिए राज्यों को प्रोत्साहित कर रहा है। मध्य अवधि राजको-ीय पुर्नगठन कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) के मूल तत्व जिन को राज्यों की सहायता के लिए मध्य अवधि वित्तीय क्षमता प्राप्त करने के लिए सिफारिश कि गई है, निम्नप्रकार से हैः

(क) राजको-ीय सुधार

- कर आधार का विस्तार करना।
- व-र्ा दर व-र्ा आधार पर कर दरें बढ़ाना।
- मूल्यकृत सेवाएं जैसे सिंचाई, जल अधिभार, बसों के किराए, शिनाख्तशुदा आधार, आर्थिक सहायता आधार का परिकलन एंव आर्थिक सहायता आधार को घटाने के लिए अनुसूची तैयार करना।
- मूल्यों का सूचीकरण/प्रयोग करने वालों को इनपुट लागत, जैसे पी.ओ.एल., महंगाई भत्ता, आदि।
- प्राइमरी स्कूल अध्यापकों तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों को छोड़कर सरकार में खाली पदों का उन्मूलन।
- राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की तरह ठेके के आधार पर नए अध्यापकों की नियुक्ति।
- नए पूंजीगत कार्यों के लिए कार्य प्रभारित स्थापनाओं का पूनः फैलाव। इसके बाद नए कार्य-अधिभारित स्टाफ तथा दैनिक वेतन के कर्मचारियों को रखने के तरीके को बन्द करना ।
- अनुदान सहायता वाले संस्थानों को आर्थिक सहायता कम करना। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में नए अनुदान संस्थानों के पंजीकरण को पांच व-र्ाों में समाप्त करना।

(ख) विद्युत क्षेत्र के सुधार

6.53 विद्युत क्षेत्रक के सुधारों का उद्देश्य राज्यों के राजस्वों में राज्य बिजली बोर्डो के नकारात्मक योगदान को कम करना है यधपि विद्युत मंत्रालय अलग से इस दिशा में काम कर रहा है, इन सुधारों मे निम्नलिखित सुधारों का समावेश होगा।

- दो व-र्ाों के अन्दर विद्युत की लागत के बराबर एक औसत टैरिफ प्राप्त करना ।
- राज्य नियामक बिजली आयोगों (एस.ई.आर.सीज) की स्थापना।
- एस.ई.आर.सीज के अवार्डो का कार्यान्वयन।
- मूल सेवाओं अर्थात उत्पादन, पारे-ण तथा वितरण को अलग-अलग करना या अलग लाभ केन्द्र स्थापित करना।
- प्रत्येक व-र्ा 5 प्रतिशत पा. एंव वि. नुकसानों को कम करना ।
- सब-स्टेशन स्तर तक 11 के वी तक मीटरिंग करना।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र पुनः संरचना

6.54 सार्वजनिक क्षेत्र पुनः संरचना कार्यक्रम (पी एस आर बी) के दो मूल उप-सैट होने चाहिए। प्रत्येक राज्य को राज्य के अन्दर कुछ गतिविधियों को जारी रखने की आवश्यकता

को पहचानना चाहिए। ऐसा करते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि क्या वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पी एस ई) लाभ कमा रहा हैं या हानि उठा रहा है। इनमें प्रमुख सार्वजनिक प्रति-ठान वह होगें जो विनिर्माण गतिविधियों में लगे हैं जैसे इलैक्ट्रोनिक्स, बेतार, कपड़ा तथा ट्रैक्टरस आदि। सार्वजनिक क्षेत्र पुनः संरचना की रूपरेखा निम्न प्रकार से होगीः

- पहचान किए गए ऐसे सार्वजनिक प्रति-ठानों की पहचान करना जिनके बारे में यह निर्णय लिया जा सके कि सरकार के स्वामित्व की आवश्यकता है या नहीं।
- घाटे में चलने वाले पी एस ई के लिए एक समग्र स्वैच्छिक सेवा-निवृति स्कीम (वी आर एस) बनाना।
- ऐसे पी एस ई के लिए बन्द करने की समयबद्ध योजना तैयार करना।
- वाणिज्यिक रूप से लाभदायक पी एस ईज के मामलें में, सरकार द्वारा उच्च अधिकार प्राप्त समिति या अन्य तरीके से निर्णय लेना कि इसमें सरकारी शेयर की सीमा कितनी होनी चाहिए।

6.55 योजना आयोग एम.टी.एफ.आर.पी. को वित्त मंत्रालय के साथ अपने समझौता ज्ञापन में राज्य द्वारा सहमत एम.टी.एफ.आर.पी. के साथ जुड़े वार्-िक योजना ढ़ांचे को सुनिश्चित करने के द्वारा समर्थन दे रहा है।

आर्थिक एकीकरण

6.56 एक अन्य राजको-ीय मामला, जिसकी ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैं वह यह है कि वर्तमान तुलनात्मक नीतियों के द्वारा उत्पन्न प्रोत्साहन संरचना की कमियों, विशे-ा रूप से औधोगिक क्षेत्र में औधोगिक प्रोत्साहन नीतियों के रूप में, राज्यों के बीच वर्तमान आर्थिक रूकावटों के नाकारात्मक है। आर्थिक सहायता, चाहे वह पूंजीगत निवेश या ब्याज पर आधारित हो, राजको-ा से सीधे बाहरी प्रवाह बनाती है। कर रियायतें तथा छूटों की तथा सम्बंधित राजस्व के समाप्त हो जाने के रूप में कीमत चुकानी पड़ती है। एक राज्य में औद्योगिक निवेश आकर्-ित करने का अन्ततः उद्देश्य में राज्य की कर योग्य क्षमता की बढ़ोत्तरी में लम्बी अवधि का उद्देश्य सम्मिलित हैं, इन उद्देश्यों को एक थोड़ी अवधि के राजको-ीय संसाधनों के बलिदान के द्वारा प्राप्त किया जाना है। विभिन्न राज्यों के लिए अब तक प्राप्त परिणामों से पता चलता हैं कि ऐसी नीतियों पर किए गए लाभ दावों साक्ष्य मिलते कि राज्य के राजको-ा के अनुरूप नहीं हैं तथा ऐसी नीतियों का औद्योगिक निवेश निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है, जो संरचना विकास तथा प्रबन्धन के निर्देशों के स्तर को अधिक बढ़ा सकें ।

6.57 इसी प्रकार, अन्तर्राजीय व्यापार अवरोध सीमा जांच पोस्टों तथा चुंगी के रूप में स्थानीय कर विद्यमान हैं। यह अवरोध व्यापार के मुक्त प्रवाह को रोकते हैं तथा आय उत्पादन को कम करते हैं। देश में एक आर्थिक क्षेत्र बनाने के विचार पर एकमत होने, व्यापार तथा वाणिज्य की दक्षताओं को अधिकतम करने तथा उत्पादक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता हैं जिससे प्रत्येक राज्य को भी समग्र लाभ होगा । विभिन्न राज्यों में बिक्री कर के अन्तर भी बाजार प्रोत्साहनों को खराब करते हैं तथा विभिन्न काउंटरों पर राजस्व की कमी करते हैं। मूल्य जमा कर(वी.ए.टी) पर एक मत होना अप्रत्यक्ष कर को बुद्धिसंगत बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने से यह दसवीं योजना में राज्यों की आर्थिक गतिविधि तथा राजस्वों की बढ़ोत्तरी में सहायता प्रदान करेगा।

6.58 संक्षेप में, सुधारों की बहुत बड़ी श्रेणियां हैं, जिन्हें राज्यों की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को खोलने के लिए तथा तेज संवृद्धि, रोजगार उत्पादन तथा गरीबी कम करने के योग्य बनाने के लिए लिया जाना अब आवश्यक हो गया है। सुधारों के दिशा-निर्देश स्प-ट है तथा अपेक्षित व्यय नि-पादन पर भी कमोबेश एकमत कायम हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में इच्छा शक्ति से सम्पन्न किए जाने वाले कार्यो के संबंध में अगला चरण प्रतीक्षारत है।

भावी मार्ग

6.59 इस अध्याय में राज्यों के लिए पहले बताई गई दसवीं योजना कार्यनीतियां पिछली पंचव-ीय योजनाओं पर योजनागत विकास के अनुभव के आधार पर, विशे-ा कर पिछली दो योजनाएं जिन्हें मुक्ति के बाद के युग में क्रियान्यवित किया गया है, के अनुभव पर बनाई गई। यह आशा की जाती है कि प्रस्तावित कार्यनीतियों के अपनाने से राज्यों को अपनी विकास क्षमताओं को पहचानने में सहायता मिलेगी। सुधारों में दी गई क्षमता, जो सम्भव हैं, को दसवीं योजना में संवृद्धि के लिए लक्ष्यों को राज्यवार के अनुसार दर्शाया गया हैं(तालिका 6.5)। इन संवृद्धि लक्ष्यों को यदि प्राप्त कर लिया जाता है तो राज्य दसवीं योजना के अन्त तक जैसा कि तालिका 6.6 में दर्शाया गया हैं, गरीबी स्तरों में कमी की ओर बढ़ेगें।

तालिका 6.5

संवृद्धि लक्ष्यः दसवीं योजना में राज्यों की सम्भाव्यता

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए राज्यवार संवृद्धि लक्ष्य (वार्षिक औसत % में)					
क्रम	राज्यों /	राज्य-वार संवृद्धि लक्ष्य			
सं.	सं. रा. क्षें.	कृनि	उधोग	सेवाएं	सं.रा.वि.का संवृद्धि
0	1.	2.	3.	4.	5.
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.00	10.41	7.97	6.62
2.	आंध्र प्रदेश	3.05	8.01	8.39	6.84
3.	अरूणचल प्रदेश	4.00	8.90	10.50	8.05
4.	असम	3.82	5.00	9.00	6.17
5.	बिहार	3.75	6.00	8.00	6.24
6.	चंडीगढ़	-2.00	10.41	10.96	10.61
7.	छत्तीसगढ़	3.00	7.50	7.00	6.10
8.	दिल्ली	-12.21	6.90	12.01	10.63
9.	गोवा	-0.90	6.25	12.36	9.23
10.	गुजरात	4.03	12.23	10.44	10.17
11.	झारखण्ड़	3.00	7.44	8.00	6.90
12.	हरियाणा	4.07	9.56	10.33	7.93
13.	हिमाचल प्रदेश	4.55	12.49	8.26	8.92
14.	जम्मु व कश्मीर	4.20	5.21	8.00	6.27
15.	कर्नाटक	4.99	11.34	12.51	10.14
16.	केरल	3.05	5.89	8.17	6.46
17.	मध्य प्रदेश	4.00	7.75	9.00	7.04
18.	महारा-ट्र	3.56	8.22	8.09	7.43
19.	मणिपुर	3.59	8.33	7.39	6.46
20.	मेघालय	4.00	6.87	7.05	6.30
21.	मिजोरम	2.00	4.16	6.84	5.29
22.	नागालैण्ड	4.00	7.29	5.78	5.56
23.	उड़ीसा	4.07	4.88	8.73	6.18
24.	पांडिचेरी	1.10	13.01	9.19	10.68
25.	पंजाब	4.07	8.06	8.00	6.42
26.	राजस्थान	4.50	10.06	9.63	8.28
27.	सिक्किम	5.00	5.21	10.36	7.87
28.	तमिलनाडु	3.54	7.37	9.77	7.96
29.	त्रिपुरा	3.90	9.37	8.43	7.31
30.	उत्तरांचल	3.50	7.00	8.70	6.77
31.	उत्तर प्रदेश	4.67	11.05	7.92	7.61
32.	पश्चिम बंगाल	5.09	9.15	10.76	8.75
	समस्त भारत	4.00	8.86	9.35	8.00

स्त्रोत = योजना आयोग

तालिका 6.6
दसवीं योजना के लिए गरीबी कम करने के लक्ष्य

2007 के लिए गरीबी प्रक्षेपण						
क्रम राज्य /		ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित
सं. संघ राज्य क्षेत्र	गरीब का प्रतिशत	गरीब की संख्या	गरीब का प्रतिशत	गरीब की संख्या	गरीब का प्रतिशत	गरीब की संख्या
1 2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	4.58	26.97	18.99	41.75	8.49	68.72
2. अरूणचल प्रदेश	37.89	3.54	4.48	0.14	29.33	3.68
3. असम	37.89	95.36	4.48	1.78	33.33	97.14
4. बिहार	44.81	482.16	32.69	54.74	43.18	536.91
5. गोवा	2.00	0.13	2.00	0.16	2.00	0.29
6. गुजरात	2.00	6.88	2.00	4.38	2.00	11.25
7. हरियाणा	2.00	3.30	2.00	1.51	2.00	4.81
8. हिमाचल प्रदेश	2.00	1.18	2.00	0.14	2.00	1.32
9. जम्मु व कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
10. कर्नाटक	7.77	28.66	8.00	16.34	7.85	45.00
11. केरल	1.63	4.03	9.34	8.01	3.61	12.04
12. मघ्य प्रदेश	28.73	192.07	31.77	74.46	29.52	266.54
13. महाराष्ट्र	16.96	101.61	15.20	72.68	16.18	174.30
14. मणिपुर	37.89	8.10	4.48	0.27	30.52	8.37
15. मेघालय	37.89	7.99	4.48	0.24	31.14	8.23
16. मिजोरम	37.89	1.88	4.48	0.23	20.76	2.12
17. नागालैण्ड	37.89	8.01	4.48	0.21	31.86	8.22
18. उड़ीसा	41.72	139.12	37.46	23.57	41.04	162.69
19. पंजाब	2.00	3.40	2.00	1.95	2.00	5.35
20. राजस्थान	11.09	54.41	15.42	23.44	12.11	77.86
21. सिक्किम	37.89	2.08	4.48	0.03	33.78	2.12
22. तमिलनाडु	3.68	12.46	9.64	31.61	6.61	44.07
23. त्रिपुरा	37.89	10.70	4.48	0.28	31.88	10.98
24. उत्तर प्रदेश	24.25	373.16	26.17	111.25	24.67	484.41
25. पश्चिमी बंगाल	21.98	137.53	8.98	22.21	18.30	159.73
26. अंडमान व निकोबार	3.68	0.10	9.64	0.14	5.82	0.24
27. चंडीगढ़	2.00	0.02	2.00	0.19	2.00	0.21
28. दादरा व नगर हवेली	2.00	0.04	2.00	0.02	2.00	0.06
29. दमन व दीयू	2.00	0.03	2.00	0.01	2.00	0.04
30. दिल्ली	2.00	0.19	2.00	3.18	2.00	3.38
31. लक्ष्यदीप	1.63	0.01	9.34	0.02	4.59	0.03
32. पांडिचेरी	3.68	0.13	9.64	0.70	7.72	0.83
समस्त भारत	21.07	1705.26	15.06	495.67	19.34	2200.94

स्त्रोत ः योजना आयोग

6.60 यह संवृद्धि प्रक्षेप-पथ राज्यों द्वारा मानव विकास को प्राप्त करने के प्रयासों तथा दसवीं योजना में रखे गए प्रबोधक योग्य संकेतकों में दर्शाए गए अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्षों के साथ-साथ चलेगीं।

प्रबोधक योग्य संकेतको का विवरण

प्रबोधक योग्य लक्ष्य

- 2007 तक 5 प्रतिशत बिन्दुओं तथा 2012 तक 15 प्रतिशत बिन्दुओं की दर से गरीबी में कमी।
- दसवीं योजना अवधि मे अतिरिक्त श्रम शक्ति को लाभदायक उच्च गुणवत्ता रोजगार उपलब्ध कराना।
- सभी बच्चों का 2003 तक स्कूल में होने के लक्ष्य को प्राप्त करना, सभी बच्चों द्वारा 2007 तक 5 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी करना।
- 2007 तक साक्षरता तथा मजदूरी दरों मे कम से कम 5 प्रतिशत तक लैंगिक विभेदों मे कमी।
- 2001 तथा 2011 के बीच जनसंख्या संवृद्धि में दशकीय दर 16.2 प्रतिशत तक घटाना।
- योजना अवधि के अन्दर साक्षरता दर में 7 प्रतिशत तक की वृद्धि।
- शिशु मृत्यु दर (शि.मृ.द.) को 2007 तक प्रति हजार 45 तक जीवन तथा 2012 तक 28 तक कम करना।
- मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) को 2007 तक प्रति हजार पर दो जीवन जन्म तथा 2012 तक घटाना।
- वन तथा वृक्ष आच्छादन को 2007 तक 25 प्रतिशत तथा 2012 तक 33 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- योजना अवधि के अन्दर सभी गावों में पोटऐबल पीने के पानी की लगातार उपलब्धता का प्रावधान।
- 2007 तक मुख्य दूषित नदियों की सफाई तथा अन्य अधिसूचित धाराओं की 2012 तक सफाई।

,6.61 संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि केन्द्र तथा राज्यों के संयुक्त प्रयास के द्वारा दसवीं योजना के उद्देश्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। राज्यों को केन्द्र के साथ अधिक तथा अधिक तेजी से सुधार करने की आवश्यकता है तथा अधिक आवश्यक उत्पादक निवेशों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए अपने संसाधनों के उच्च स्तरों को ठोस आधार पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

6.62 दसवीं योजना का राज्यों के लिए संदेश है कि विकास के प्रक्षेपित स्तरों की प्राप्ति के लिए योजना में व्यय का ध्यान रखते हूए बढ़ते हूए राजकोषीय तथा आर्थिक सुधारों के साथ संयोजित करने की आवश्यकता है। आगे, संस्थानों को ठीक करने के पक्के इरादे तथा वांछित संवृद्धि के स्तरों को प्राप्त करने के लिए वितरण प्रक्रियाओं में सुधार तथा विकास में असन्तुलनों को कम करना भी आवश्यक है। राज्यों की संवृद्धि का कुल योग देश की संवृद्धि है तथा देश में दसवीं योजना का निष्पादन राज्यों के निषपादनों पर निर्भर करेगा।

6.63 आगे का कार्य श्रम साध्य तथा कठिन है परन्तु असंम्भव नहीं है। लोगों की भलाई में उपलब्धि का पुरस्कार ही सफलता का परिणाम होगा। राज्यों तथा केन्द्र का भाग्य मिलाजुला होता है तथा राज्यों एंव केन्द्र को, दसवीं योजना में लोगों की अपेक्षा तथा अभिलाषा के लिए महत्वकांक्षी परिणामों को प्राप्त करनें के लिए मिलजुल कर कार्य करना होगा।

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	आन्ध्र प्रदेश	अरूणाचल	असम	बिहार	छेंीसगढ़	गोवा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. कृषि और संबधित गतिविधियां						
फसल पालन	91080	17560 \1	23051	15052	28561	2405
मृदा एंव जल संरक्षण	485	4600	2226	0	1546	6450
पशु पालन	4097	4355	8332	3308	8959	1300
डेरी विकास	0	600	1454	708	\1	300
मत्स्य पालन	1270	2394	6829	1895	1884	780
वन एवं वन जन्तु	123779	7700	7736	4514	32718	2500
पोधरोपण	0	6095	70	0	0	0
खाद्य, भण्डारण एवं वेयरहीऊसिंग	0	100	50	0	0	15
कृषीय अनुसंधान एंव शिक्षा	2042	685	10147	3000	2856	74
कृषीय वित्तीय संस्थान	5500	0	0	4245	0	0
अन्य कृषीय कार्यक्रमः						
(क विपणन एंव गुणवत्ता नियंत्रण	0	5487	364	0	0	10
(ख) अन्य	0	0	0	0	0	0
सहयोग	5068	1955	6239	20889	9573	2000
योग - (1)	**233321**	**51531**	**66498**	**53611**	**86097**	**15834**
	(5.01)	(13.25)	(8.00)	(2.55)	(7.83)	(4.95)
II. ग्रामीण विकास						
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमः						
(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) तथा संबंधित कार्यक्रम	338560 \1	504	19660	12533	4501	225
(ख) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	0	0	1500	1167	0	0
(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)	400	384	50	0	0	85
ग्रामीण रोजगार						
(क) एन.आर.ई.पी./ जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई)	47953	1243	9565 \1	71083\1	56872	400 \2
(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारन्टी स्कीम आदि)	0	1927 \2	7365	44000\2	0	0
भूमि सुधार	658	934	1899	17974	908	600
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (समुदाय विकास एवं पंचायतें सहित)	71636 \2	10825 \3	18222 \2	266893\3	53610	7140 \3

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	आन्ध्र प्रदेश	अरूणाचल	असम	बिहार	छींसगढ़	गोवा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
योग - II	**459207**	**15817**	**58261**	**413650**	**115891**	**8450**
	(9.85)	(4.07)	(7.01)	(19.70)	(10.54)	(2.64)
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	**112352**	**6500**	**5640**	**4069**	**0**	**1800**
	(2.41)	(1.67)	(0.68)	(0.19)		(0.56)
IV. सिचाई एवं बाढ़ नियत्रंण						
मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	915384	166	27360	327319	172137	17540
लघू सिंचाई	160719	16071	30509	68178	77664	2700
कमांड क्षेत्र विकास	6622	1700	4764	15005	676	1250
बाढ़ नियंत्रण (सागर-रोधी कटाव आदि सहित)	1773	500	1900	191185	188	800
योग - IV	**1084498**	**18437**	**64533**	**601687**	**250665**	**22290**
	(23.27)	(4.74)	(7.76)	(28.65)	(22.79)	(6.97)
V. ऊर्जा						
विद्युत	713947	49119	83542	271958	9919	40000
ऊर्जा के गैस-पंरपारिक स्रोत	225	693	162	1586	3406	500
योग-V	**714172**	**49812**	**83704**	**273544**	**13325**	**40500**
	(15.32)	(12.81)	(10.07)	(13.03)	(1.21)	(12.66)
VI. उद्योग एवं खनिज						
गांव एवं लघु उद्योग उद्योग	51163	7126	17994	6123	12853	5000
(गां. एवं. ल.उ. के अलावा)	112348	55	4675	17871	4508	6500 \4
खनन्	2000	455	1035	156	4051	140
योग - (VI)	**165511**	**7636**	**23704**	**24150**	**21412**	**11640**
	(3.55)	(1.96)	(2.85)	(1.15)	(1.95)	(3.64)
VII. परिवहन						
पत्तन एवं प्रकाश स्तम्भ	338	0	0	0	0	25
नौवहन	0	0	0	0	0	0
न्नागर विभानन	0	1386	0	3254	388	1100
सडंके एवं पुल	345180	78898	79254	116098	44776	35240
सडंक परिवहन	53216	1982	6663	10960	0	1095
आंतरिक जल परिवहन	100	0	1600	0	0	800
अन्य परिवहन सेवाएं	585 \3	176 \4	415	0	0	1024 \5

संलग्नक – 6.1

दसवीं योजना – 2002–07 प्रक्षेपित परिव्यय – राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	आन्ध्र प्रदेश	अरूणाचल	असम	बिहार	छेंीसगढ़	गोवा
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
योग – (VII.)–	**399419**	**82442**	**87932**	**130312**	**45164**	**39284**
	(8.57)	(21.20)	(10.57)	(6.21)	(4.11)	(12.28)
VIII. संचार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण						
वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. एवं प्रौ.सहित)	500	420	750	0	300	175
परिस्थितकीय एवं पर्यावरण	620	42	65	0	783	300
योग – (IX)	**1120**	**462**	**815**	**0**	**1083**	**475**
	(0.02)	(0.12)	(0.10)		(0.10)	(0.15)
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं						
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	43297	1383	2430	1263	13100	450
पर्यटन	20135	5000	2563	16268	3731	15000
सर्वेक्षण एवं सांख्यिकि	1365	486	1444	5797	88	405
नागरिक आपूर्तियां	15500	795	318	7083	0	0
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं :						
i) जिला योजना/ जिला परिषदें	0	7500	13600	4878	0	0
ii) वजन एवं माप	0	451	289	0	0	120
iii) अन्य	183 \4	7555 \5	1115 \3	0	0	0
योग – (X)	**80480**	**23170**	**21759**	**35289**	**16919**	**15975**
	(1.73)	(5.96)	(2.62)	(1.68)	(1.54)	(4.99)
XI. सामाजिक सेवाएं शिक्षा						
सामान्य शिक्षा	141754	48703	202996	188722	230267	20380
तकनीकी शिक्षा	3755	0	5133	15802	5090	6350
खेल एवं युवा सेवाएं	41815	910	1244	4754	3237	6015
कला एंव संस्कृति	4361	2435	4134	2864	2141	6280
उप योग (शिक्षा)	**191685**	**52048**	**213507**	**212142**	**240735**	**39025**
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	133024	23129	57069	107920	43418	13135
जल आपूर्ति एवं सफाई	182751	18567	63452	79590	84707	59496
आवास (पुलिस आवास सहित)	186456	12409	2137	4340	18175	2960
शहरी विकास (राज्य पूंजीगत परियोजनाओं सहित)	168653	10500	7995	21108	68229	19650
सूचना एवं प्रचार अ.ज., अ.ज.जा.	5826	882	1555	3284	313	300
एवं अ. पि.व. का कल्याण	391461	0	26028	22326	26263	400

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	आन्ध्र प्रदेश	अरूणाचल	असम	बिहार	छेंीसगढ़	गोवा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
श्रम एवं रोजगार						
i) श्रम एवं श्रम कल्याण	12194	194	3558	33743	8114	3186
ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	388 \6	0	0	0	0
समाज कल्याण	38573	721	22910 \4	2953	12052\2	14050
पौषण	52781	4813	17500	20267	22570	450
अन्य समाज सेवाएं	0	282	0	0	1039	0
योग - (XI)	**1363404**	**123933**	**415711**	**507673**	**525615**	**152652**
	(29.25)	(31.87)	(49.99)	(24.17)	(47.78)	(47.70)
XII. सामान्य सेवाएं						
जेल	0	0	500	3648	1202	950
लेखन समाग्री एवं प्रकाशन	25	384	225	0	319	150
लोक विनिमार्ण	8424 \5	7005	1859	16836	21168	5000
अन्य प्रशासनिक सेवाएं						
i) प्रशिक्षण	8486	107	0	1029	0	0
ii) अन्य	30981 \6	1596 \7	381 \5	34502\4	1140\3	5000 \6
योग - (XII)	**47916**	**9092**	**2965**	**56015**	**23829**	**11100**
	(1.03)	(2.34)	(0.36)	(2.67)	(2.17)	(3.47)
सकल योग	**4661400**	**388832**	**831522**	**2100000**	**1100000**	**320000**
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कशमीर	झारखंड	कर्नाटक
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. कृषि और संबधित गतिविधियां						
फसल पालन	197481	4971 \1	29293	33867	22878	36190
मृदा एंव जल संरक्षण	19408	6497	11714	23882	0	70241
पशु पालन	10810	9771	14519	15173	2200	12721
डेरी विकास	571	428	1112	296	1155	1542
मत्स्य पालन	6639	3720	1554	4537	2075	6765
वन एवं वन जन्तु	93634	12733	42377	36358	46277	73396
पोधरोपण	0	0	0	0	0	167
खाद्य, भण्डारण एवं वेयरहीऊसिंग	451	5	0	405	0	4026
कृषीय अनुसंधान एंव शिक्षा	13109	3857	0	24545	0	14391
कृषीय वित्तीय संस्थान	2809	0	11686	0	0	1405
अन्य कृषीय कार्यक्रमः						
(क विपणन एंव गुणवत्ता नियंत्रण	0	0	5924	8942	0	5996
(ख) अन्य	0	0	0	0	0	0
सहयोग	9959	4971	1990	2775	7900	7854
योग - (1)	**354871**	**46953**	**120169**	**150780**	**82485**	**234694**
	(8.87)	(4.57)	(11.67)	(10.40)	(5.64)	(5.39)
II. ग्रामीण विकास						
ग्रामीण विकास के लिए विशेका कार्यक्रमः						
(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) तथा संबंधित कार्यक्रम	22302 \1	1726	4674 \1	2576	315683	15876 \1
(ख) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	11004	2314 \2	842	1627	\1	3792
(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)	0	600	2268	418	\1	2937
ग्रामीण रोजगार						
(क) एन.आर.ई.पी./ जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई)	74296 \2	10251 \3	6497 \2	11371	0	11554
(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारन्टी स्कीम आदि)	3601	2977	1103	0	0	8059
भूमि सुधार	4426	649	9474	6370	11550	2484
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (समुदाय विकास एवं पंचायतें सहित)	20565 \3	12068	18958	15048	0	178070

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कशमीर	झारखंड	कर्नाटक
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
योग - II	**136194**	**30585**	**43816**	**37410**	**327233**	**222772**
	(3.40)	(2.97)	(4.25)	(2.58)	(22.36)	(5.11)
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	**3830**	**14737**	**2080**	**77187**	**0**	**64074**
	(0.10)	(1.43)	(0.20)	(5.32)		(1.47)
IV. सिचाई एवं बाढ़ नियत्रंण						
मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	766091	112964	5500	23743	172086	1327733
लघू सिंचाई	109849	15427	33302	33306	32584	71935
कमांड क्षेत्र विकास	3405	10285	950	4220	0	13706
बाढ़ नियंत्रण (सागर-रोधी कटाव आदि सहित)	1660	15428	5566	19310	3000	4283
योग - IV	**881005**	**154104**	**45318**	**80579**	**207670**	**1417657**
	(22.02)	(14.98)	(4.40)	(5.56)	(14.19)	(32.55)
V. ऊर्जा						
विद्युत	595849	139533	123500	287949	81400	220699
ऊर्जा के गैर-पंरपारिक स्रोत	6044	514	\3	625	0	5996
योग-V	**601893**	**140047**	**123500**	**288574**	**81400**	**226695**
	(15.04)	(13.62)	(11.99)	(19.90)	(5.56)	(5.20)
VI. उद्योग एवं खनिज						
गांव एवं लघु उद्योग उद्योग	40433	4114	8914	30253	44687	114021
(गां. एवं. ल.उ. के अलावा)	161986	4217	1142	10600	0	29039
खनन्	4426	103	417	2712	2700	2227
योग - (VI)	**206845**	**8434**	**10473**	**43565**	**47387**	**145287**
	(5.17)	(0.82)	(1.02)	(3.00)	(3.24)	(3.34)
VII. परिवहन						
पत्तन एवं प्रकाश स्तम्भ	0	0	0	0	0	0
नौवहन	0	0	0	0	0	0
न्नागर विभानन	3405	103	656	0	2700	0
सडंके एवं पुल	170668	102850	154689	159994	125000	394946
सडंक परिवहन	11066	25712	8032	500	0	85529
आंतरिक जल परिवहन	0	0	15	1160	0	4797
अन्य परिवहन सेवाएं	0	0	202	2416	1064	172 \2

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कशमीर	झारखंड	कर्नाटक
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
योग - (VII.)-	185139	128665	163594	164070	128764	485444
	(4.63)	(12.51)	(15.88)	(11.32)	(8.80)	(11.14)
VIII. संचार	3405	0	211	0	0	0
	(0.09)		(0.02)			
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण						
वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. एवं प्रौ.सहित)	29835	565	592	0	33000	1293
परिस्थितकीय एवं पर्यावरण	2766	283	50	3619	0	1285
योग - (IX)	32601	848	642	3619	33000	2578
	(0.81)	(0.08)	(0.06)	(0.25)	(2.26)	(0.06)
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं						
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	213	103	2740	58728	4200	381
पर्यटन	10683	1286	2670	22502	9900	6424
सर्वेक्षण एवं सांख्यकि	979	257	315	935	0	736
नागरिक आपूर्तियां	1660	0	2028	0	4730	0
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं :						
i) जिला योजना/ जिला परिषदें	69799	49389	13456	71000	0	0
ii) वजन एवं माप	553	200	125	326	122	197
iii) अन्य	0	0	1040 \4	20000\1	0	81825 \3
योग - (X)	83887	51235	22374	173491	18952	89563
	(2.10)	(4.98)	(2.17)	(11.96)	(1.30)	(2.06)
XI. सामाजिक सेवाएं शिक्षा						
सामान्य शिक्षा	248980	62049	263311	115554	81228	168709
तकनीकी शिक्षा	21025	18341	5184	12418	0	3255
खेल एवं युवा सेवाएं	1702	2606	3033	6130	3375	6327
कला एंव संस्कृति	4575	848	1738	2511	0	6810
उप योग (शिक्षा)	276282	83844	273266	136613	84603	185101
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	116616	96062	78772	79666	65000	153052
जल आपूर्ति एवं सफाई	390728	48168	64675	101187	55200	305719
आवास (पुलिस आवास सहित)	202844	22284	22030	2387	29100	258330
शहरी विकास (राज्य पूंजीगत परियोजनाओं सहित)	231487	15453	12885	42229	116327	322939
सूचना एवं प्रचार अ.ज., अ.ज.जा. एवं अ. पि.व. का कल्याण	5533	437	2492	820	575	5140
	158326 \4	8571	7881	4309	111309	116995

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कशमीर	झारखंड	कर्नाटक
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
श्रम एवं रोजगार						
i) श्रम एवं श्रम कल्याण	25536	8382	331	11504	1800	685
ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	509	0	0	6596
समाज कल्याण	30942	140793	18042	15928	20800	41135 \4
पौषण	28090	6771	8465	7000	0	22606
अन्य समाज सेवाएं	42561 \5	343	0	0	0	0
योग - (XI)	**1508945**	**431108**	**489348**	**401643**	**484714**	**1418298**
	(37.72)	(41.92)	(47.51)	(27.70)	(33.13)	(32.56)
XII. सामान्य सेवाएं						
जेल	0	0	150	0	9350	771
लेखन समाग्री एवं प्रकाशन	0	185	900	831	0	1456
लोक विनिमार्ण	0	21599	3900	10500	24893	42507
अन्य प्रशासनिक सेवाएं						
i) प्रशिक्षण	2085	0	825	0	0	171
ii) अन्य	0	0	2700	17751	17426\2	3855 \5
योग - (XII)	**2085**	**21784**	**8475**	**29082**	**51669**	**48760**
	(0.05)	(2.12)	(0.82)	(2.01)	(3.53)	(1.12)
सकल योग	**4000700**	**1028500**	**1030000**	**1450000**	**1463274**	**4355822**
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट	मणिपुर	मेघालय	मीजोरम
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I. कृषि और संबधित गतिविधियां						
फसल पालन	28000	70310 \1	57685	4203	10250	6299 \1
मृदा एंव जल संरक्षण	6000	4667	184014	2035	5000	1633
पशु पालन	14000	16244	13750	1000	5500	2333
डेरी विकास	700	\1	3000	100	800	187
मत्स्य पालन	17500	2989	7020	1375	700	607
वन एवं वन जन्तु	17500	35275	68279	1744	5250	2846
पोधरोपण	0	0	0	0	0	0
खाद्य, भण्डारण एवं वेयरहीऊसिंग	250	0	0	16	150	0
कृषीय अनुसंधान एंव शिक्षा	12600	6678	8000	55	165	47
कृषीय वित्तीय संस्थान	3000	0	0	0	30	0
अन्य कृषीय कार्यक्रमः						
(क विपणन एंव गुणवत्ता नियंत्रण	2950	0	0	11	415	848
(ख) अन्य	0	0	0	0	0	0
सहयोग	10000	21989	83114	847	1700	1398
योग - (1)	**112500**	**158152**	**424862**	**11386**	**29960**	**16198**
	(4.69)	(6.04)	(6.38)	(4.06)	(9.96)	(7.04)
II. ग्रामीण विकास						
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमः						
(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) तथा संबंधित कार्यक्रम	6477	82630	23016 \1	1100\1	7800\1	1400
(ख) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	0	0	19500	0	0	0
(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)	0	1923	568	572	1050	52
ग्रामीण रोजगार						
(क) एन.आर.ई.पी./ जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई)	16169	0	111900 \2	0	0	980
(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारन्टी स्कीम आदि)	0	0	293700	5027\2	0	541
भूमि सुधार	2000	7171	2555	0	1030	1171
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (समुदाय विकास एवं पंचायतें सहित)	32329	196392 \2	240733 \3	5392\3	10938\2	11521

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट	मणिपुर	मेघालय	मीजोरम
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
योग - II	**56975**	**288116**	**691972**	**12091**	**20818**	**15665**
	(2.37)	(11.00)	(10.38)	(4.31)	(6.92)	(6.81)
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	**10000**	**0**	**37322**	**2288**	**4470**	**4037**
	(0.42)		(0.56)	(0.82)	(1.49)	(1.76)
IV. सिचाई एवं बाढ़ नियत्रंण						
मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	60000	381903	1215010	22160	2475	5
लघू सिंचाई	20500	104746	204316	10120	6000	2683
कमांड क्षेत्र विकास	7500	3740	100000	2189	165	140
बाढ़ नियंत्रण (सागर-रोधी कटाव आदि सहित)	5000	1200	6175 \4	2385	1100	0
योग - IV	**93000**	**491589**	**1525501**	**36854**	**9740**	**2828**
	(3.88)	(18.77)	(22.89)	(13.14)	(3.24)	(1.23)
V. ऊर्जा						
विद्युत	342500	550378	1014971	22886	50137	19280
ऊर्जा के गैर-पंरपारिक स्रोत	7500	242	1380	165	440	205
योग-V	**350000**	**550620**	**1016351**	**23051**	**50577**	**19485**
	(14.58)	(21.02)	(15.25)	(8.22)	(16.81)	(8.47)
VI. उद्योग एवं खनिज						
गांव एवं लघु उद्योग उद्योग	55875	3358	51646	31451\5	3600\3	5273
(गां. एवं. ल.उ. के अलावा)	76700 \1	13665	20010	1821	10000	392
खनन्	300	3215	0	22	800	373
योग - (VI)	**132875**	**20238**	**71656**	**33294**	**14400**	**6038**
	(5.54)	(0.77)	(1.08)	(11.87)	(4.79)	(2.63)
VII. परिवहन						
पत्तन एवं प्रकाश स्तम्भ	6000	0	20000	0	0	\2
नौवहन	0	0	0	0	0	0
न्नागर विभानन	0	2805	10000	0	0	0
सडंके एवं पुल	242000	132500	302121 \5	22200	51500	46258
सडंक परिवहन	6000	0	186900	0	1650	1558
आंतरिक जल परिवहन	7000	0	1000	0	0	47
अन्य परिवहन सेवाएं	5000	0	1700 \6	148\6	880	327 \3

संलग्नक – 6.1

दसवीं योजना – 2002–07 प्रक्षेपित परिव्यय – राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट	मणिपुर	मेघालय	मीजोरम
1.	**14.**	**15.**	**16.**	**17.**	**18.**	**19.**
योग – (VII.)–	**266000**	**135305**	**521721**	**22348**	**54030**	**48190**
	(11.08)	(5.17)	(7.83)	(7.97)	(17.96)	(20.95)
VIII. संचार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण						
वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. एवं प्रौ.सहित)	12000	858	4325	1227	515	513
परिस्थितकीय एवं पर्यावरण	\2	5112	1200 \7	495	275	19
योग – (IX)	**12000**	**5970**	**5525**	**1722**	**790**	**532**
	(0.50)	(0.23)	(0.08)	(0.61)	(0.26)	(0.23))
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं						
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	31385	66753	98695	19088	870	1145
पर्यटन	82600	5360	35279	1000	1650	1056
सर्वेक्षण एवं सांख्यिकि	2145	175	732	495	470	373
नागरिक आपूर्तियां	500	3642	0	0	165	826
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं :						
i) जिला योजना/ जिला परिषदें	0	0	0	3938	0	8324
ii) वजन एवं माप	175	36	0	0	165	233
iii) अन्य	0	0	150245 \8	0	2650\4	598 \4
योग – (X)	**116805**	**75966**	**284951**	**24521**	**5970**	**12555**
	(4.87)	(2.90)	(4.28)	(8.75)	(1.98)	(5.46)
XI. सामाजिक सेवाएं शिक्षा						
सामान्य शिक्षा	28100	319463	253811	19716	25400	23280
तकनीकी शिक्षा	26900	12860	43837	1776	5500	3948
खेल एवं युवा सेवाएं	5850	2750	57000	1463	3900	814
कला एंव संस्कृति	5400	4339	7157	3911	2000	1210
उप योग (शिक्षा)	**66250**	**339412**	**361805**	**26866**	**36800**	**29252**
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	40840	71533	110666	8173	18000	12370
जल आपूर्ति एवं सफाई	115900	89425	776276	32187	23500	12333
आवास (पुलिस आवास सहित)	35400	88480	96214	8232	7255	22748
शहरी विकास (राज्य पूंजीगत परियोजनाओं सहित)	19750	42694	309336	13361	10650	13604
सूचना एवं प्रचार अ.ज., अ.ज.जा.	3000	299	460	259	1000	612
एवं अ. पि.व. का कल्याण	138555	72978	158911	2315	55	0

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट	मणिपुर	मेघालय	मीजोरम
1.	**14.**	**15.**	**16.**	**17.**	**18.**	**19.**
श्रम एवं रोजगार						
i) श्रम एवं श्रम कल्याण	4400	770	57956	703	175	350
ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	4931	0	5000	750	0
समाज कल्याण	8900	8385	12790	616	1500	1493
पौषण	3050	32852	34707	4488	3750	2925
अन्य समाज सेवाएं	0	11738	4200 \9	1000\7	0	0
योग - (XI)	**436045**	**763497**	**1923321**	**103200**	**103435**	**95687**
	(18.17)	(29.15)	(28.86)	(36.80)	(34.38)	(41.60)
XII. सामान्य सेवाएं						
जेल	0	1225	4560	270	800	808
लेखन समाग्री एवं प्रकाशन	600	98	0	280	500	467
लोक विनिमार्ण	13200	1330	18164	3452	3000	2969
अन्य प्रशासनिक सेवाएं						
i) प्रशिक्षण	0	0	0	0	100	0
ii) अन्य	800000 \3	126887 \3	137294\10	5643\8	2310\5	4542 \5
योग - (XII)	**813800**	**129540**	**160018**	**9645**	**6710**	**8786**
	(33.91)	(4.95)	(2.40)	(3.44)	(2.23)	(3.82)
सकल योग	**2400000**	**2618993**	**6663200**	**280400**	**300900**	**230001**
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	नागा-लैण्ड	उड़ीसा	पंजाब	राज-स्थान	सिक्किम	तमिल नाडु	त्रिपुरा
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
I. कृषि और संबधित गतिविधियां							
फसल पालन	12050 \1	18981	12935	10534	7000	135000	21208\1
मृदा एंव जल संरक्षण	3800	12948	2940	27071	1500	43760	816
पशु पालन	4700	1022	5261	4477	2425	10000	9241
डेरी विकास	0	456	2756	0	274	5000	403
मत्स्य पालन	950	3445	694	302	200	20400	2603
वन एवं वन जन्तु	2250	69446	28075	115320	3500	134810	4835
पोधरोपण	0	0	0	0	0	0	2087
खाद्य, भण्डारण एवं वेयरहीऊसिंग	0	1811	0	1030	200	1455	838
कृषीय अनुसंधान एंव शिक्षा	0	959	2000	1819	300	35000	168
कृषीय वित्तीय संस्थान	0	4	5225	2605	0	3550	11
अन्य कृषीय कार्यक्रमः							
(क विपणन एंव गुणवत्ता नियंत्रण	0	227	0	0	900	\1	988
(ख) अन्य	1250 \2	0	0	0	0	0	0
सहयोग	550	7221	3655	1790	1200	4230	1802
योग - (1)	**25550**	**116520**	**63541**	**164948**	**17499**	**393205**	**45000**
	(11.47)	(6.13)	(3.41)	(6.04)	(10.57)	(9.83)	(10.00)
II. ग्रामीण विकास							
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमः							
(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) तथा संबंधित कार्यक्रम	16078	8181 \1	6550	12907 \1	1000 \1	13145\2	168\2
(ख) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	0	550	0	2785	0	0	0
(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)	297	123	1600	64	500	0	199
ग्रामीण रोजगार							
(क) एन.आर.ई.पी./ जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई)	0	39242 \2	20175	22751 \2	1000	59669\3	0
(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारन्टी स्कीम आदि)	0	0	0	0	1500	0	8344\3
भूमि सुधार	1530	1258	0	301	400	0	1068
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (समुदाय विकास एवं पंचायतें सहित)	100 \3	40437	99325\1	191076	3000	337186\3	44221

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	नागा–लैण्ड	उड़ीसा	पंजाब	राज–स्थान	सिक्किम	तमिल नाडु	त्रिपुरा
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
योग - II	**18005**	**89791**	**127650**	**229884**	**7400**	**410000**	**54000**
	(8.08)	(4.73)	(6.84)	(8.42)	(4.47)	(10.25)	(12.00)
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	**4455**	**0**	**13437**	**16922**	**3000**	**0**	**31500**
	(2.00)		(0.72)	(0.62)	(1.81)		(7.00)
IV. सिचाई एवं बाढ़ नियत्रंण							
मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	4100	232902	159251	226961	0	170000	4418
लघू सिंचाई	0	160444	27505	28541	1500	50000	21925
कमांड क्षेत्र विकास	0	3575	15000	19351	1500	17500	0
बाढ़ नियंत्रण (सागर-रोधी कटाव आदि सहित)	0	13000	59395	1935	100	\4	9657
योग - IV	**4100**	**409921**	**261151**	**276788**	**3100**	**237500**	**36000**
	(1.84)	(21.57)	(14.00)	(10.13)	(1.87)	(5.94)	(8.00)
V. ऊर्जा							
विद्युत	24795	285854	596365	667422	24000	800000	22330
ऊर्जा के गैर-पंरपारिक स्त्रोत	50	634	1908	58652	290	2965	170
योग-V	**24845**	**286488**	**598273**	**726074**	**24290**	**802965**	**22500**
	(11.15)	(15.08)	(32.07)	(26.58)	(14.67)	(20.07)	(5.00)
VI. उद्योग एवं खनिज							
गांव एवं लघु उद्योग उद्योग	12015	8074	4083	12304	2600	35000	6797
(गां. एवं. ल.उ. के अलावा)	4290	2768	1500	13450	3300 \2	20000	6035
खनन्	2900	91	5	69812	300	500	668
योग - (VI)	**19205**	**10933**	**5588**	**95566**	**6200**	**55500**	**13500**
	(8.62)	(0.58)	(0.30)	(3.50)	(3.74)	(1.39)	(3.00)
VII. परिवहन							
पत्तन एवं प्रकाश स्तम्भ	0	1328	0	0	0	3000	0
नौवहन	0	0	0	0	0	0	0
न्नागर विभानन	0	523	350	0	\3	0	0
सडंके एवं पुल	13635	192601	85775	229371	25000	600000	24230
सडंक परिवहन	3100	1419	3525	23116	1500	70000	2978
आंतरिक जल परिवहन	0	120	0	0	0	\5	0
अन्य परिवहन सेवाएं	300 \5	0	181500\2	51492 \2	0	0	22292\4

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	नागा-लैण्ड	उड़ीसा	पंजाब	राज-स्थान	सिक्किम	तमिल नाडु	त्रिपुरा
1.	**20.**	**21.**	**22.**	**23.**	**24.**	**25.**	**26.**
योग - (VII.)-	**17035**	**195991**	**271150**	**303979**	**26500**	**673000**	**49500**
	(7.65)	(10.32)	(14.53)	(11.13)	(16.00)	(16.83)	(11.00)
VIII. संचार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**
							(0.20)
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण							
वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. एवं प्रौ.सहित)	350	2281 \3	3303	753	600	4735	904
परिस्थितकीय एवं पर्यावरण	100	2030	572	464	500	11305	446
योग - (IX)	**450**	**4311**	**3875**	**1217**	**1100**	**16040**	**1350**
	(0.20)	(0.23)	(0.21)	(0.04)	(0.66)	(0.40)	(0.30)
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं							
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	4361 \6	273	3430	43262	500	4000	4034
पर्यटन	1600	2195	356	12658	2500	10200	1389
सर्वेक्षण एवं सांख्यकि	400	68	520	305	500	1000	134
नागरिक आपूर्तियां	700	227	140	164	500	2360	940
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं :							
i) जिला योजना/							
जिला परिषदें	15000	38318	5000	0	40	0	10
ii) वजन एवं माप	200	2	0	176	0	0	243
iii) अन्य	542 \7	187421 \4	5569\3	51424 \4	0	0	0
योग - (X)	**22803**	**228504**	**15015**	**107989**	**4040**	**17560**	**6750**
	(10.24)	(12.03)	(0.80)	(3.95)	(2.44)	(0.44)	(1.50)
XI. सामाजिक सेवाएं शिक्षा							
सामान्य शिक्षा	7630	104713	141090	142726	25000	150000	54936
तकनीकी शिक्षा	5707	699	6688	4056	5000	4900	221
खेल एवं युवा सेवाएं	4800	956	5512	514	1500	10285	1611
कला एंव संस्कृति	1000	1750	6606	2187	1500	8240	225
उप योग (शिक्षा)	**19137**	**108118**	**159896**	**149483**	**33000**	**173425**	**56993**
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7965	52139	53081	56892	8000	70000	25072
जल आपूर्ति एवं सफाई	16445	65650	88852	108082	7525	480000	23007
आवास (पुलिस आवास सहित)	16603	48658	10767	63923	6950	100000	38286
शहरी विकास (राज्य पूंजीगत परियोजनाओं सहित)	5900	48264	10870	330217	4000	237500	7475
सूचना एवं प्रचार अ.ज., अ.ज.जा. एवं अ. पि.व. का कल्याण	800	729	520	236	800	2155	1414
	0	108436	33773	31204	1800	188200	10156

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	नागा–लैण्ड	उड़ीसा	पंजाब	राज–स्थान	सिक्किम	तमिल नाडु	त्रिपुरा
1.	**20.**	**21.**	**22.**	**23.**	**24.**	**25.**	**26.**
श्रम एवं रोजगार							
i) श्रम एवं श्रम कल्याण	200	52	1637	2600	250	4075	1421
ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	850	114	0	0	0	0	0
समाज कल्याण	2540	31068	120000	4204	1400	20000	3948
पौषण	3400	44361	5000	52836	2900	40000	7456
अन्य समाज सेवाएं	0	0	1441	0	0	50000	7022\5
योग - (XI)	**73840**	**507589**	**485837**	**799677**	**66625**	**1365355**	**182250**
	(33.15)	(26.72)	(26.04)	(29.27)	(40.24)	(34.13)	(40.50)
XII. सामान्य सेवाएं							
जेल	0	189	985	352	0	0	1329
लेखन समाग्री एवं प्रकाशन	450	1	601	0	300	700	62
लोक विनिमार्ण	3100	4527	8970	8326	3000	28175	4174
अन्य प्रशासनिक सेवाएं							
i) प्रशिक्षण	800	5	0	0	0	0	9
ii) अन्य	8127 \8	45230 \5	9627	78	2520 \4	0	1176\6
योग - (XII)	**12477**	**49952**	**20183**	**8756**	**5820**	**28875**	**6750**
	(5.60)	(2.63)	(1.08)	(0.32)	(3.52)	(0.72)	(1.50)
सकल योग	**222765**	**1900000**	**1865700**	**2731800**	**165574**	**4000000**	**450000**
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	राज्यों का योग	अ.व.नि. द्वीप समूह	चण्डी गढ़	दा.ब.ना. हवेली
1.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
I. कृषि और संबधित गतिविधियां							
फसल पालन	157198	14483	19412	1087937	1908.00	13.50	650.00
मृदा एंव जल संरक्षण	110866	26099	1327	581525	1211.00	10.00	700.00
पशु पालन	17500	1771	11033	215802	2180.00	121.00	180.00
डेरी विकास	8000	2281	3215	35338	0.00	\1	0.00
मत्स्य पालन	5000	367	17560	122054	2725.00	100.00	0.00
वन एवं वन जन्तु	120800	20693	16443	1130788	7243.00	1733.00	1200.00
पोधरोपण	0	0	1306	9725	0.00	0.00	0.00
खाद्य, भण्डारण एवं वेयरहीऊसिंग	0	0	301	11103	0.00	0.00	0.00
कृषीय अनुसंधान एंव शिक्षा	33376	2808	5427	184108	0.00	0.00	0.00
कृषीय वित्तीय संस्थान	20000	0	2522	62592	0.00	0.00	0.00
अन्य कृषीय कार्यक्रमः							
(क विपणन एंव गुणवत्ता नियंत्रण	0	0	0	33062	0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य	35000	0	3922	40172	0.00	0.00	0.00
सहयोग	6500	990	8995	237154	2510.00	55.00	53.50
योग - (1)	**514240**	**69492**	**91463**	**3751360**	**17777.00**	**2032.50**	**2783.50**
	(8.61)	(9.11)	(3.19)	(6.68)	(7.16)	(2.03)	(9.16)
II. ग्रामीण विकास							
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमः							
(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) तथा संबंधित कार्यक्रम	65000 \1	0	7444\1	991716	0.00	0.00	0.00
(ख) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	10000	0	0	55081	0.00	0.00	0.00
(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)	3000	0	0	17090	303.00	25.00	20.25
ग्रामीण रोजगार							
(क) एन.आर.ई.पी./ जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई)	310000 \2	0	27474	910445	0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारन्टी स्कीम आदि)	0	0	19843	397987	0.00	0.00	0.00
भूमि सुधार	2200	0	2228	80838	666.00	0.00	33.00
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (समुदाय विकास एवं पंचायतें सहित)	322591	42052	322780	2573108	14115.00	992.00\2	1000.00

संलग्नक – 6.1

दसवीं योजना – 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय – राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उेंार प्रदेश	उेंारांचल	पश्चिम बंगाल	राज्यों का योग	अ.व.नि. द्वीप समूह	चण्डी गढ़	दा.ब.ना. हबेली
1.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
योग – II	**712791**	**42052**	**379769**	**5026265**	**15084.00**	**1017.00**	**1053.25**
	(11.94)	(5.51)	(13.26)	(8.95)	(6.07)	(1.02)	(3.46)
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	**100000**	**388**	**106379**	**626467**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	(1.67)	(0.05)	(3.71)	(1.12)			
IV. सिचाई एवं बाढ़ नियत्रंण							
मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	642458	10328	89585	7089579	0.00	0.00	500.00
लघू सिंचाई	53527	5986	23849	1373886	2757.00	200.00	620.00
कमांड क्षेत्र विकास	40000	0	5205	278448	0.00	0.00	140.00
बाढ़ नियंत्रण (सागर-रोधी कटाव आदि सहित)	24750	1539	71227	443056	0.00	0.00	0.00
योग – IV	**760735**	**17853**	**189866**	**9184969**	**2757.00**	**200.00**	**1260.00**
	(12.74)	(2.34)	(6.63)	(16.36)	(1.11)	(0.20)	(4.14)
V. ऊर्जा							
विद्युत	908249	184705	784645	8915932	19380.00	10894.00	7750.00
ऊर्जा के गैर-परंपारिक स्रोत	52950	9663	905	157870	1363.00	48.00	25.00
योग–V	**961199**	**194368**	**785550**	**9073802**	**20743.00**	**10942.00**	**7775.00**
	(16.10)	(25.47)	(27.43)	(16.16)	(8.35)	(10.94)	(25.58)
VI. उद्योग एवं खनिज							
गांव एवं लघु उद्योग उद्योग	33946	1233	28302	638238	3746.00	190.00	170.00
(गां. एवं. ल.उ. के अलावा)	91000	6851	119614	744337	0.00	0.00	0.00
खनन्	1300	218	3068	103994	0.00	0.00	0.00
योग – (VI)	**126246**	**8302**	**150984**	**1486569**	**3746.00**	**190.00**	**170.00**
	(2.11)	(1.09)	(5.27)	(2.65)	(1.51)	(0.19)	(0.56)
VII. परिवहन							
पत्तन एवं प्रकाश स्तम्भ	0	0	0	30691	7146.00	0.00	0.00
नौवहन	0	0	0	0	47345.00	0.00	0.00
न्नागर विभानन	3000	1518	384	31572	2240.00	0.00	0.00
सडंके एवं पुल	600816	106600	232052	4714252	40048.00	300.00\3	6258.95
सडंक परिवहन	70199	0	42639	619339	1040.00	4180.00	0.00
आंतरिक जल परिवहन	10	0	2569	19218	0.00	0.00	0.00
अन्य परिवहन सेवाएं	0	788	2273	272754	0.00	140.00\4	15.00

संलग्नक – 6.1

दसवीं योजना – 2002–07 प्रक्षेपित परिव्यय – राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	राज्यों का योग	अ.व.नि. द्वीप समूह	चण्डी गढ़	दा.ब.ना. हबेली
1.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
योग – (VII.)–	674025	108906	279917	5687826	97819.00	4620.00	6273.95
	(11.29)	(14.27)	(9.77)	(10.13)	(39.40)	(4.62)	(20.64)
VIII. संचार	0	0	0	4516	908.00	0.00	0.00
				(0.01)	(0.37)		
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण							
वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. एवं प्रौ.सहित)	5950	304	13831	119879	212.00	60.00	35.00
परिस्थितकीय एवं पर्यावरण	235525	5902	1688	275446	0.00	270.00	0.00
योग – (IX)	241475	6206	15519	395325	212.00	330.00	35.00
	(4.04)	(0.81)	(0.54)	(0.70)	(0.09)	(0.33)	(0.12)
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं							
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	14350	843	526	421803	900.00	10.00	5.00
पर्यटन	138273	21077	4381	437736	4118.00	302.00	503.00
सर्वेक्षण एवं सांख्यिकि	5000	164	212	25500	180.00	10.00	14.00
नागरिक आपूर्तियां	0	1265	1720	45263	900.00	528.00	10.00
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं :							
i) जिला योजना/ जिला परिषदें	0	0	18789	319041	0.00	0.00	0.00
ii) वजन एवं माप	0	186	219	4018	0.00	50.00	5.00
iii) अन्य	72102	0	0	582269	0.00	1065.00\5	80.00\1
योग – (X)	229725	23535	25847	1835630	6098.00	1965.00	617.00
	(3.85)	(3.08)	(0.90)	(3.27)	(2.46)	(1.97)	(2.03)
XI. सामाजिक सेवाएं शिक्षा							
सामान्य शिक्षा	321750	85459	79789	3555516	23986.80	7065.00	4013.50
तकनीकी शिक्षा	98897	14790	10652	342784	3340.80	3512.00	800.00
खेल एवं युवा सेवाएं	5300	1796	10106	195305	586.90	1058.00	40.00
कला एंव संस्कृति	4334	1910	3316	93782	429.50	1234.00	50.00
उप योग (शिक्षा)	430281	103955	103863	4187387	28344.00	12869.00	4903.50
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	240543	38767	103618	1884522	11400.00	22426.00	1225.00
जल आपूर्ति एवं सफाई	533797	106356	73317	4006892	15256.00	6393.00	2025.00
आवास (पुलिस आवास सहित)	46500	6323	13723	1373514	7868.00	3750.00	585.00
शहरी विकास (राज्य पूंजीगत परियोजनाओं सहित)	102066	14506	348102	2555750	9590.00	30344.25	488.80
सूचना एवं प्रचार अ.ज., अ.ज.जा.	2500	272	2148	44361	330.00	50.00	30.00
एवं अ. पि.व. का कल्याण	110895	6524	41034	1778705	503.00	466.00	0.00

संलग्नक – 6.1

दसवीं योजना – 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय – राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	राज्यों का योग	अ.व.नि. द्वीप समूह	चण्डीगढ़	दा.ब.ना. हवेली
1.	**27.**	**28.**	**29.**	**30.**	**31.**	**32.**	**33.**
श्रम एवं रोजगार							
i) श्रम एवं श्रम कल्याण	7260	190	5444	196710	509.00	152.25	155.00
ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	2978	0	22116	0.00	0.00	0.00
समाज कल्याण	57330	2160	46776	682009	1175.00	610.00	40.00
पौषण	77947	1391	31429	539805	1360.00	35.00	330.00
अन्य समाज सेवाएं	0	663 \1	17326	137615	251.00	49.00	0.00
योग – (XI)	**1609119**	**284085**	**786780**	**17409386**	**76586.00**	**77144.50**	**9782.30**
	(26.95)	(37.23)	(27.47)	(31.00)	(30.84)	(77.14)	(32.18)
XII. सामान्य सेवाएं							
जेल	0	0	3961	31050	1060.00	0.00	10.00
लेखन समाग्री एवं प्रकाशन	2103	0	114	10751	0.00	0.00	60.00
लोक विनिमार्ण	39142	0	42859	348079	2800.00	0.00	430.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं							
i) प्रशिक्षण	0	0	0	13617	0.00	0.00	0.00
ii) अन्य	0	7813 \2	5092	1271671	2710.00 \1	1559.00	150.00\2
योग – (XII)	**41245**	**7813**	**52026**	**1675168**	**6570.00**	**1559.00**	**650.00**
	(0.69)	(1.02)	(1.82)	(2.98)	(2.65)	(1.56)	(2.14)
सकल योग	**5970800**	**763000**	**2864100**	**56157283**	**248300.00**	**100000.00**	**30400.00**
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	दमन व द्वीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	स.र.क्ष. का योग	रा. व स.र.क्ष. का योग	योग का %
1.	**34.**	**35.**	**36.**	**37.**	**38.**	**39.**	**40.**
I. कृषि और संबधित गतिविधियां							
फसल पालन	210.80	1077.50	860.79	5050.00 \1	9770.59	1097707.59	1.86
मृदा एंव जल संरक्षण	40.00	300.00	81.51	0.00	2342.51	583867.51	0.99
पशु पालन	77.65	4167.50	929.47	4400.00	12055.62	227857.62	0.39
डेरी विकास	10.00	2775.00	0.00	200.00	2985.00	38323.00	0.06
मत्स्य पालन	223.00	50.00	5989.26	1280.00	10367.26	132421.26	0.22
वन एवं वन जन्तु	278.00	2600.00	92.30	500.00	13646.30	1144434.30	1.94
पोधरोपण	0.00	2430.00	0.00	0.00	2430.00	12155.00	0.02
खाद्य, भण्डारण एवं वेयरहीऊसिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11103.00	0.02
कृषीय अनुसंधान एंव शिक्षा	0.00	0.00	0.00	2600.00	2600.00	186708.00	0.32
कृषीय वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62592.00	0.11
अन्य कृषीय कार्यक्रमः							0.00
(क विपणन एंव गुणवत्ता नियंत्रण	0.00	45.00	0.00	750.00	795.00	33857.00	0.06
(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40172.00	0.07
सहयोग	84.00	300.00	2730.27	4800.00	10532.77	247686.77	0.42
योग - (1)	**923.45**	**13745.00**	**10683.60**	**19580.00**	**67525.05**	**3818885.05**	**6.46**
	(3.77)	(0.60)	(24.45)	(10.27)	(2.30)	(6.46)	
II. ग्रामीण विकास							
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमः							
(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) तथा संबंधित कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991716.00	1.68
(ख) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55081.00	0.09
(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)	0.00	300.00	0.00	40.00	688.25	17778.25	0.03
ग्रामीण रोजगार							
(क) एन.आर.ई.पी./ जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910445.00	1.54
(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारन्टी स्कीम आदि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397987.00	0.67
भूमि सुधार	112.54	25.00	0.00	112.00	948.54	81786.54	0.14
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (समुदाय विकास एवं पंचायतें सहित)	945.50	46000.00	559.61	3000.00	66612.11	2639720.11	4.47

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	दमन व द्वीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	स.र.क्ष. का योग	रा. व स.र.क्ष. का योग	योग का %
1.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
योग - II	**1058.04**	**46325.00**	**559.61**	**3152.00**	**68248.90**	**5094513.90**	**8.62**
	(4.32)	(2.01)	(1.28)	(1.65)	(2.32)	(8.62)	
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**626467.00**	**1.06**
					(1.06)		
IV. सिचाई एवं बाढ़ नियत्रंण							
मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	150.00	0.00	0.00	0.00	650.00	7090229.00	12.00
लघू सिंचाई	72.00	1000.00	0.00	5190.00	9839.00	1383725.00	2.34
कमांड क्षेत्र विकास	100.00	0.00	0.00	0.00	240.00	278688.00	0.47
बाढ़ नियंत्रण (सागर-रोधी कटाव आदि सहित)	130.00	14600.00	1733.85	2180.00	18643.85	461699.85	0.78
योग - IV	**452.00**	**15600.00**	**1733.85**	**7370.00**	**29372.85**	**9214341.85**	**15.59**
	(1.84)	(0.68)	(3.97)	(3.87)	(1.00)	(15.59)	
V. ऊर्जा							
विद्युत	5126.50	345600.00	1388.96	16500.00	406639.46	9322571.46	15.78
ऊर्जा के गैर-पंरपारिक स्त्रोत	22.00	150.00	648.76	60.00	2316.76	160186.76	0.27
योग-V	**5148.50**	**345750.00**	**2037.72**	**16560.00**	**408956.22**	**9482758.22**	**16.05**
	(21.01)	(15.03)	(4.66)	(8.69)	(13.92)	(16.05)	
VI. उद्योग एवं खनिज							
गांव एवं लघु उद्योग उद्योग	144.00	10000.00	506.23	7100.00	21856.23	660094.23	1.12
(गां. एवं. ल.उ. के अलावा)	51.00	0.00	0.00	10200.00	10251.00	754588.00	1.28
खनन्	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103994.00	0.18
योग - (VI)	**195.00**	**10000.00**	**506.23**	**17300.00**	**32107.23**	**1518676.23**	**2.57**
	(0.80)	(0.43)	(1.16)	(9.07)	(1.09)	(2.57)	
VII. परिवहन							
पत्तन एवं प्रकाश स्तम्भ	180.00	0.00	7705.94	2000.00	17031.94	47722.94	0.08
नौवहन	0.00	0.00	4305.89	0.00	51650.89	51650.89	0.09
न्नागर विभानन	300.00	0.00	1113.35	0.00	3653.35	35225.35	0.06
सडंके एवं पुल	6000.00	250780.00	657.14	13786.00	317830.09	5032082.09	8.52
सडंक परिवहन	0.00	293891.00	0.00	2240.00	301351.00	920690.00	1.56
आंतरिक जल परिवहन	0.00	0.00	833.06	0.00	833.06	20051.06	0.03
अन्य परिवहन सेवाएं	215.00	0.00	0.00	0.00	370.00	273124.00	0.46

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	दमन व द्वीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	स.र.क्ष. का योग	रा. व स.र.क्ष. का योग	योग का %
1.	**34.**	**35.**	**36.**	**37.**	**38.**	**39.**	**40.**
योग - (VII.)-	**6695.00**	**544671.00**	**14615.38**	**18026.00**	**692720.33**	**6380546.33**	**10.80**
	(27.33)	(23.68)	(33.44)	(9.46)	(23.58)	(10.80)	
VIII. संचार	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**908.00**	**5424.00**	**0.01**
					(0.03)	(0.01)	
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण							
वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. एवं प्रौ.सहित)	80.00	700.00	307.64	140.00	1534.64	121413.64	0.21
परिस्थितकीय एवं पर्यावरण	0.00	4800.00	400.30	176.00	5646.30	281092.30	0.48
योग - (IX)	**80.00**	**5500.00**	**707.94**	**316.00**	**7180.94**	**402505.94**	**0.68**
	(0.33)	(0.24)	(1.62)	(0.17)	(0.24)	(0.68)	
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं							
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	10.00	1280.00	19.03	120.00	2344.03	424147.03	0.72
पर्यटन	520.00	6000.00	5015.45	6050.00	22508.45	460244.45	0.78
सर्वेक्षण एवं सांख्यकि	60.00	1250.00	29.70	40.00	1583.70	27083.70	0.05
नागरिक आपूर्तियां	24.00	2000.00	0.00	1200.00	4662.00	49925.00	0.08
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं :							
i) जिला योजना/ जिला परिषदें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319041.00	0.54
ii) वजन एवं माप	12.00	200.00	0.00	20.00	287.00	4305.00	0.01
iii) अन्य	0.00	0.00	54.75\1	745.00 \2	1944.75	584213.75	0.99
योग - (X)	**626.00**	**10730.00**	**5118.93**	**8175.00**	**33329.93**	**1868959.93**	**3.16**
	(2.56)	(0.47)	(11.71)	(4.29)	(1.13)	(3.16)	
XI. सामाजिक सेवाएं शिक्षा							
सामान्य शिक्षा	1345.50	184000.00	1221.82	21585.48	243218.10	3798734.10	6.43
तकनीकी शिक्षा	1192.33	25000.00	0.00	5344.92	39190.05	381974.05	0.65
खेल एवं युवा सेवाएं	75.00	6000.00	361.53	2469.60	10591.03	205896.03	0.35
कला एंव संस्कृति	87.50	6860.00	241.56	1250.00	10152.56	103934.56	0.18
उप योग (शिक्षा)	**2700.33**	**221860.00**	**1824.91**	**30650.00**	**303151.74**	**4490538.74**	**7.60**
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1750.00	238150.00	901.30	16360.00	292212.30	2176734.30	3.68
जल आपूर्ति एवं सफाई	1800.00	376600.00	904.33	10785.00	413763.33	4420655.33	7.48
आवास (पुलिस आवास सहित)	516.00	20000.00	1271.83	5030.00	39020.83	1412534.83	2.39
शहरी विकास (राज्य पूंजीगत परियोजनाओं सहित)	608.00	294025.00	225.96	10300.00	345582.01	2901332.01	4.91
सूचना एवं प्रचार अ.ज., अ.ज.जा. एवं अ. पि.व. का कल्याण	100.00 107.00	1500.00 15800.00	160.99 0.00	280.00 5300.00	2450.99 22176.00	46811.99 1800881.00	0.08 3.05

संलग्नक - 6.1

दसवीं योजना - 2002-07 प्रक्षेपित परिव्यय - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रूपये)

विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	दमन व द्वीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	स.र.क्ष. का योग	रा. व स.र.क्ष. का योग	योग का %
1.	**34.**	**35.**	**36.**	**37.**	**38.**	**39.**	**40.**
श्रम एवं रोजगार							
i) श्रम एवं श्रम कल्याण	322.00	4325.00	7.51	1360.00	6830.76	203540.76	0.34
ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22116.00	0.04
समाज कल्याण	52.00	32250.00	112.73	8800.00	43039.73	725048.73	1.23
पौषण	450.00	20230.00	74.56	3575.00	26054.56	565859.56	0.96
अन्य समाज सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	137915.00	0.23
योग - (XI)	**8405.33**	**1224740.00**	**5484.12**	**92440.00**	**1494582.25**	**18903968.25**	**31.99**
	(34.31)	(53.25)	(12.55)	(48.49)	(50.88)	(31.99)	
XII. सामान्य सेवाएं							
जेल	30.00	16000.00	0.00	0.00	17100.00	48150.00	0.08
लेखन समाग्री एवं प्रकाशन	215.00	0.00	139.87	400.00	814.87	11565.87	0.02
लोक विनिमार्ण	545.00	30010.00	0.00	5000.00	38785.00	386864.00	0.65
अन्य प्रशासनिक सेवाएं							
i) प्रशिक्षण	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	14017.00	0.02
ii) अन्य	126.68	36529.00	2112.75\2	2330.00	45517.43	1317188.43	2.23
योग - (XII)	**916.68**	**82939.00**	**2252.62**	**7730.00**	**102617.30**	**1777785.30**	**3.01**
	(3.74)	(3.61)	(5.15)	(4.05)	(3.49)	(3.01)	
सकल योग	**24500.00**	**2300000.00**	**43700.00**	**190649.00**	**2937549.00**	**59094832.00**	**100.00**
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	